www.dhyeyaias.com

अगस्त 2020 | अंक 05

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1. मॉरीशस में तेल रिसाव की आपदा

दुष्प्रभाव एवं न्यूनीकरण

2. भारतीय धर्मनिर्पेक्षता की विशिष्टता का निहितार्थ
3. बहुध्रुवीय विश्व में भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति
4. चीन की अक्रामकता पर भारतीय अंकुश : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
5. परमाणु हमले की 75वीं वर्षगाठ और वर्तमान परमाणु जोखिम
6. बालश्रम की निकृष्टतम स्थिति पर आइएलओ सम्मेलन : सार्वभौमिक समर्थन
7. भारत का जनसांख्यिकीय भविष्य : संक्षिप्त परिचय

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

अगस्त 2020 | अंक 05

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ स्नेहा तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ अंशुमान तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ कृष्ण कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न — 01–14

- मॉरीशस में तेल रिसाव की आपदा : दुष्प्रभाव एवं न्यूनीकरण
- भारतीय धर्मनिर्पेक्षता की विशिष्टता का निहितार्थ
- बहुध्रुवीय विश्व में भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति
- चीन की अक्रामकता पर भारतीय अंकुश : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ
- परमाणु हमले की 75वीं वर्षगाठ और वर्तमान परमाणु जोखिम
- बालश्रम की निकृष्टतम स्थिति पर आइएलओ सम्मेलन : सार्वभौमिक समर्थन
- भारत का जनसांख्यिकीय भविष्य : संक्षिप्त परिचय

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स — 15–21

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) — 22–23

7 महत्वपूर्ण खबरें — 24–29

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) — 30

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) — 31

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) — 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 मॉरीशस में तेल रिसाव की आपदा : दुष्प्रभाव एवं न्यूनीकरण

चर्चा का कारण

- 25 जुलाई को जापान का एमवी वकाशियो (MV Wakashio) नामक जहाज पोइंट डीशएसनी (Pointe d'esny) में फँस गया था और उस जहाज से तेल लीक होने लगा। सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से पता चला है कि तेल रिसाव, पोइंट डीशएसनी के मेनलैंड से आइ-लॉक्ज-एग्रेट्स के द्वीप तक फैल गया है। जानकारों का मानना है कि जहाज से अब तक एक हजार टन से ज्यादा का ईंधन लीक होकर लैगून में जा चुका है। इस तेल को साफ करने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। जहाज से हुए नुकसान के बाद 7 अगस्त को मॉरीशस की सरकार ने इस घटना को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया।

प्रमुख बिन्दु

- मॉरीशस के समुद्री तट ब्लू बे मरीन पर खड़े जापानी जहाज के दो टुकड़े हो जाने से उसमें भरा कच्चा तेल जल सतह पर फैल चुका है। हिन्द महासागर में फंसे इस जहाज की टंकियों में करीब चार हजार टन तेल भरा था। समुद्र में फैले इस कच्चे तेल से आस पास के द्वीपों में मौजूद कछुओं और दुर्लभ समुद्री पौधों को खतरा उत्पन्न हो गया है।
- जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के मुताबिक, मॉरीशस के समुद्री पर्यावरण में 1,700 तरह की प्रजातियाँ रहती हैं, जिनमें करीब 800 तरह की मछलियाँ हैं, 17 तरह के समुद्री स्तनधारी जीव हैं और कछुओं की दो प्रजातियाँ हैं। कोरल रीफ्स, समुद्री घास और मैन्ग्रोव-मॉरीशस के पानी को असाधारण रूप से जैव विविधता से समृद्ध बनाते हैं। इस तरह का तेल रिसाव यहाँ की करीब हर चीज पर असर डालेगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु काम करने वाली संस्था 'ग्रीनपीस' का कहना है कि इससे मॉरीशस में अब तक का सबसे भयावह पर्यावरणीय संकट पैदा हो सकता है।
- तेल रिसाव से इस देश की 13 लाख आबादी के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। यह देश आजीविका के लिए पर्यटन पर निर्भर है और यहाँ के समुद्री द्वीप और उन पर पाये जाने वाले जीव जंतु पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण के केंद्र बिन्दु हैं। कोविड 19 महामारी के कारण पर्यटक पहले से ही नहीं आ रहे हैं और अब इस तेल के रिसाव ने इस संकट को और बढ़ा दिया है।
- मॉरीशस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद का आह्वान किया है। फ्रांस ने अपने रीयूनियिन द्वीप (मॉरीशस के समीप फ्रांस के स्वामित्व वाला द्वीप) से प्रदूषण नियंत्रण करने वाले उपकरणों के साथ सैन्य विमान , मॉरीशस की मदद के लिए भेजे हैं।
- भारत ने भी भारतीय तटरक्षक बल की 10 सदस्यीय टीम को अपने सागर (SAGAR) विजन के तहत भेजा है। भारतीय तटरक्षक बल का यह दल मॉरीशस के समुद्री क्षेत्र में हुए तेल रिसाव के संबंध मे कार्य करेगा।

तेल रिसाव की अन्य घटनाएँ

- 2010 में मैक्सिको की खाड़ी में करीब 400,000 टन तेल रिसाव हुआ था, जिससे प्लवक से लेकर डॉल्फिन तक - हजारों प्रजातियों की मौत हो गई थी।
- 1978 में फ्रांस के ब्रिटनी में कच्चे तेल का एक बड़ा जहाज फँस गया, जिससे करीब 70 मिलियन गैलन तेल समुद्र में लीक हुई। तेल की चिकनी परत से फ्रांस के तट का करीब 200 मील का हिस्सा प्रदूषित हो गया और मोलस्क और क्रस्टेशियंस जैसे जीवों की जान गई। तेल रिसाव की वजह से करीब 20 हजार पक्षियों की जान भी गई और क्षेत्र के सीप भी खराब हो गए।

समुद्री तेल रिसाव

- समुद्री प्रदूषण का प्रमुख कारण तेल रिसाव है। यह मानवीय और प्राकृतिक, दोनों ही प्रकार से हो सकता है; हालांकि यह मुख्यत: मानवीय गतिविधियों के कारण ही होता है जो कभी-कभी भयानक रूप ले लेता है।
- इस प्रकार समुद्री तेल रिसाव, एक प्रकार का प्रदूषण है; जिसमें मानवीय व प्राकृतिक गतिविधियों के कारण तरल पेट्रोलियम हाईड्रोकार्बन (यथा-कच्चा तेल, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद व उनके उप-उत्पाद ,बेड़े में प्रयुक्त होने वाले भारी ईंधन जैसे बंकर ईंधन, तैलीय अवशिष्ट या अपशिष्ट तेल आदि) समुद्री पर्यावरण (यथा-तटीय क्षेत्र आदि) में मुक्त हो जाता है।
- पेट्रोलियम हाईड्रोकार्बन का रिसाव मुख्यत: टैंकर, अपतटीय प्लेटफार्म , खुदाई उपकरण, जहाज, तेल के कुओं इत्यादि से होता है।

समुद्री तेल रिसाव के नुकसान

- समुद्री या तटीय प्रदूषण के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण आदि सभी क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- समुद्री तेल रिसाव का नुकसान सिर्फ समुद्री जीवों और वन्यजीवों तक सीमित नहीं है। तेल के रिसाव से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का आवास और जनजीवन भी खतरे में पड़ जाता है। तेल से लथपथ समुद्री जीवों को अगर मानव सेवन कर ले तो उसका शरीर बीमारियों का घर बन सकता है।
- समुद्र में बड़े पैमाने पर फैले तेल से छुटकारा पाने के लिए जब पानी पर तैर रहे तेल के कुछ हिस्सों को आग लगाई जाती है तो इससे वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोआक्साइड जैसी गैसें उत्सर्जित होकर वायुमंडल मे प्रवेश कर जाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग आदि का कारण बनती हैं।
- प्रदूषण के कारण समुद्री प्रजातियों के गलफड़ ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। इसका प्रभाव वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्री प्रजातियों पर भी पड़ता है, जिससे समुद्री खाद्य के बाजार मूल्य घट जाते हैं।
- तेल की चिकनाई (समुद्र में तेल रिसाव) के कारण समुद्री जीव-जंतुओं और पक्षियों को हानि होती है तथा मैंग्रोव वनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है जिनमें तेल फंस जाता है और फूल खिलने, फल बनने तथा अंकुरण पर प्रभाव पड़ता है।
- इससे प्रभावित मछलियों और समुद्री खाद्य वस्तुओं की गंध अप्रिय हो जाती है अतः तेल रिवाव के कारण मछलियों की उत्पादन सुविधाओं को होने वाली आर्थिक क्षति से समुद्री खाद्य उद्योग को काफी खतरे का सामना करना पड़ता है।
- समुद्री तल पर फेंका गया ड्रिल का कचरा ऑक्सीजन को समाप्त कर देता है और इससे निचले तलछटों पर विषैले सल्फाइड बनते हैं जिससे समुद्र तल पर रहने वाले जीव मर जाते हैं।
- महासागरों में प्रदूषण से, इनसे प्राप्त होने वाली सुविधायें (यथा-औषधि पौधे एवं जीव, खाद्य पदार्थ, तटीय पर्यटन तथा अन्य समुद्री पौधे एवं जीव आदि) दूषित हो जाती हैं, जिससे मानव को काफी सामाजिक-आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
- समुद्री पारितंत्र की जैवविविधता पर भी गम्भीर खतरा उत्पन्न होता है।
- समुद्री प्रदूषण के अधिक होने पर वहां उपस्थित वनस्पति व जीव तेजी से मरने लगते हैं जिनके अपघटन हेतु पानी में घुलित ऑक्सीजन की डिमांड अधिक हो जाती है।

तेल रिसाव से निपटने के कुछ उपाय

- तेल का विखंडन करने या हटाने के लिए सूक्ष्मजीवों अथवा जैविक कारकों का उपयोग किया जाता है, इसे जैविक उपचार विधि कहते हैं। विशिष्ट जीवाणु पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन का अपघटन करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं।
- नियंत्रित दहन प्रणाली के द्वारा पानी में फैले हुए तेल की मात्रा को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है।
- निर्वात विधि के द्वारा समुद्र तटों और पानी की सतह से तेल को हटाया जाता है। बूम, समुद्री सतह पर तैरते हुए बड़े अवरोध होते हैं जो तेल को एकत्र कर उसे जल से ऊपर उठाते हैं। स्किमर्स के द्वारा भी समुद्री सतह से तेल को हटाया जाता है। स्किमर्स , तेल की सतह से फेन हटाते हैं। सॉर्बेंट्स,बड़े अवशोषक होते हैं, जो तेल का अवशोषण करते हैं।

तेल रिसाव से संबन्धित कानून

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल रिसाव से हुई क्षति के लिये पर्याप्त, शीघ्र तथा प्रभावी क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 'इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी ऑफ बंकर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज, 2001' है जिसके मुताबिक तेल रिसाव से हुए नुकसान के लिये जहाजों के मालिक जिम्मेदार होते हैं। इस संधि का भारत ने भी अनुसमर्थन किया है।
- भारत के अन्दर तटवर्ती और समुद्री क्षेत्रों को तेल रिसाव से होने वाली क्षति से रक्षा करने हेतु 1980 से तेल रिसाव प्रबंधन कार्यक्रम बना था।
- भारत में तेल रिसाव आपदा के मामले में संकट प्रबंधन के लिए गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है तथा तेल रिसाव होने की स्थिति में भारत के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव प्रदूषण से निपटने के लिए तटरक्षक बल समन्वयकारी एजेंसी है।

आगे की राह

- पृथ्वी के लगभग 70 प्रतिशत भाग पर महासागर अवस्थित हैं और ये सम्पूर्ण पृथ्वी के जैवमण्डल को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं अर्थात् वर्षा से लेकर अन्य जलवायुवीय गतिविधियों के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए समुद्री या तटीय प्रदूषण पर हमें गहन चिंतन करना होगा ताकि इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सके।
- सभी देशों को समुद्र तटों के पास अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों व औद्योगिक संयंत्रों पर लगाम लगाने के साथ-साथ अनियोजित तरीके से समुद्रीय संसाधनों (यथा-पेट्रोलियम पदार्थ, प्रवाल भित्ति, समुद्री जीव इत्यादि) के दोहन पर भी रोक लगानी चाहिए और इस क्षेत्र में भी सतत विकास सुनिश्चित करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- आपदा और आपदा प्रबंधन।

प्र. समुद्री तेल रिसाव से आप क्या समझते हैं? इससे होने वाले नुकसानों को उल्लेखित करने के साथ-साथ समुद्री तेल रिसाव से संबन्धित कानूनों की भी चर्चा करें।

02 भारतीय धर्मनिर्पेक्षता की विशिष्टता का निहितार्थ

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा फिर से चर्चा का विषय बन गया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 1976 के पहले भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया था। 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा था कि यह सही है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे, इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जोड़े गये है।
- इसी संदर्भ में सेक्युलर शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य) द्वारा जोड़ा गया।
- यह इस तथ्य पर जोर देता है कि संवैधानिक रूप से, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। साथ ही राज्य सभी धर्मों को मान्यता देगा और स्वीकार करेगा, किसी विशेष धर्म का पक्ष या संरक्षण नहीं करेगा।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धर्मनिरपेक्षता

- भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक भाग में, सर फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादियों ने बड़े पैमाने पर राजनीति के लिए एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया।
- पंडित मोती लाल नेहरू द्वारा 1928 में ऐतिहासिक नेहरू समिति के अध्यक्ष के रूप में तैयार किए गए संविधान में धर्मनिरपेक्षता पर कई प्रावधान थे जैसे-
    - भारत के राष्ट्रमंडल में या किसी भी प्रांत में किसी भी धर्म के लिए कोई राज्य धर्म नहीं होगा, और न ही राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धर्म को वरीयता देगा या धार्मिक मान्यताओं या धार्मिक स्थिति के आधार पर किसी भी विधि को लागू नहीं करेगा।
- धर्मनिरपेक्षता का मतलब कभी भी हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा धर्म के प्रति उदासीनता नहीं थी, जिन्होंने महसूस किया कि भारत एक अत्यधिक धार्मिक देश है।
- इसीलिए भारत में भी अधिकांश रूढ़िवादी हिंदुओं और मुसलमानों ने इसे एक व्यवहार्य विचारधारा के रूप में स्वीकार किया।

धर्मनिरपेक्षता से संबंधित संवैधानिक लेख:

- अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और सभी को कानूनों की समान सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोककर धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को व्यापक संभव सीमा तक बढ़ाता है।
- अनुच्छेद 16 (1) सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
- अनुच्छेद 25 स्वतंत्रता की चेतना प्रदान करता है, अर्थात, सभी व्यक्ति समान रूप से विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म, अभ्यास और प्रचार करने के अधिकार के हकदार हैं।
- अनुच्छेद 26 के अनुसार, प्रत्येक धार्मिक समूह या व्यक्ति को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों को स्थापित करने और बनाए रखने और धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है।
- अनुच्छेद 27 के अनुसार, राज्य किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्था के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 28 विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा बनाए गए शिक्षण संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है।
- अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों को सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है।

पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता एवं भारत

- पश्चिम देशों में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं दी गयी है वहाँ धर्म एक व्यक्तिगत मामला है जिसे सार्वजनिक मामले से दूर रखा गया है उदाहरण के लिए फ्रांस में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने की इजाजत नहीं है।
- पश्चिम देशों की तरह भारत में धर्म की अवधारणा को नहीं अपनाया जा सकता था क्योंकि भारतीय समाज में धर्म की जड़े काफी गहराई तक व्याप्त हैं अतः बिना धार्मिक सुधार के सामाजिक सुधार लाना मुश्किल है यही कारण कारण था संविधान निर्माताओं ने राज्य को कुछ मामलों में धर्म में हस्तक्षेप की गुंजाइश रखी।

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा

भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता मुख्यतः दो सिद्धांतों पर आधारित है-

- **सभी धर्मों का सम्मान:** भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा अर्थात संविधान में किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं दी गयी है।

- **सैद्धांतिक दूरी:** भारतीय संविधान में विवक्षित रूप में धर्म के मामले में राज्य को सैद्धांतिक दूरी अर्थात सामान दूरी बनाये रखने के लिए कहा गया है लेकिन कुछ मामलों में राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है जैसे-विभिन्न धर्मो के बीच समरसता स्थापित करने हेतु।
- किसी धर्म के अंदर यदि किसी वर्ग/वर्गो का शोषण हो रहा रहा है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है।
- शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षण संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है।

चुनौतियाँ

- राज्य द्वारा धर्म के मामले में सैद्धांतिक दूरी बनाकर चलाना व्यवहार में काफी मुश्किल होता है यह मामला आत्मीयता से जुड़ा होता है इस स्थिति में राज्य को यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए और कौन से में नहीं। कभी-कभी इसी को लेकर विवाद भी हो जाता है जिससे संबंधित धार्मिक समुदाय की भावनाओं के आहत होने का खतरा बढ़ जाता है हालाँकि ऐसी असमजंस की स्थिति जब पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के उद्देशिका के दर्शन,स्वतंत्रता, समनाता गरिमा आदि के आधार पर निर्णय लेती है।
- वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने राजनैतिक उद्देश्यों को साधने हेतु संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता का सहारा लेती हैं। अपनी सहूलियत के अनुसार या अपने राजनीतिक फायदे-नुकसान के मुताबिक सत्ताधारी राजनैतिक पार्टी धार्मिक मामले में दखल देती है, कुछ विद्वान इसे पार्टी राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता (Party-political Secularism) की संज्ञा देते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को भी पार्टी-राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के रूप देखा जा रहा है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का भविष्य

- वर्तमान में भारत में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक धार्मिक लोगों में फिलहाल टकराव की स्थिति नहीं है, इसलिए विभिन्न धर्मों के अंदर ही सुधार की बात होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि जब विभिन्न धर्म के वर्गों के बीच टकराव की स्थिति होती है तो धर्म के अंदर जरुरी सुधार नहीं हो पाते हैं। भारत में यह स्थिति औपनिवेशिक काल में 1930 व 1940 के दशक में देखने को मिली थी उस समय लोग धर्म के आधार पर बंट गये थे और एक-दूसरे से संघर्ष के कारण उन्हें अपने धर्म में सुधार की गुंजाइश ही नहीं दिख रही थी
- धर्म के अंदर सुधार के बाद अंतर-धार्मिक (Inter-relegion) समरसता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को भारत की जरूरत के मुताबिक अपनाया गया है अत: इसके अनुरक्षण व संवर्धन हेतु सरकार सिविल सोसायटी न्यायपालिका तथा आम जनता आदि सभी को प्रत्यनशील होने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

प्र. भारतीय संविधान में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का वर्णन करने साथ-साथ यह भी बताएं कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का भविष्य कैसा है?

03 बहुध्रुवीय विश्व में भारत की आत्मनिर्भर विदेश नीति

चर्चा का कारण

- भारत के 74 वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य विषय आत्मनिर्भरता था। आत्मनिर्भरता की यह अवधारणा आमतौर पर किसी देश की अर्थव्यवस्था और प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से जुड़ी होती है, लेकिन विदेश नीति के क्षेत्र में इसका एक समानांतर आयाम भी है। आत्मनिर्भर विदेश नीति का लक्ष्य रणनीतिक स्वायत्तता के लिए स्वयंसिद्ध सिद्धांतों को अपनाने के बराबर है। इस लेख में भारत की विदेश नीति के स्वरूप का मूल्यांकन किया जाएगा।

परिचय

- भारतीय विदेश नीति का बुनियादी उद्देश्य भारत में घरेलू परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। इसके जरिए सरकार बहुवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के अपने मूल्यों को संवर्धित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज में परिवर्तन संबंधी कार्य को संभव बनाना चाहती है।
- एक देश की विदेश नीति को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले कारक हैं-भू-रणनीतिक अवस्थिति,सैन्य क्षमता, आर्थिक शक्ति, एवं सरकार का स्वरूप। दूसरी तरफ विदेश नीति संबंधी निर्णय वैश्विक एवं आंतरिक प्रभावों द्वारा निर्धारित होते हैं।
- भारतीय विदेश नीति वर्तमान में कई वैश्विक चुनौतियों का भी सामना कर रही है जिसमें अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा अथवा समूह में हथियारों के नष्ट किये जाने की सहमति, समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सुधार शामिल हैं । इसके अलावा ईरान तेल संकट, अमेरिका व चीन के बीच व्यापार युद्ध, चीन की मुखर होती विस्तारवाद नीति ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष कठिन चुनौतियों को प्रकट किया है।
- भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करना है और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता की सुरक्षित करना है।

भारत की विदेश नीति का स्वरूप

- **ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र विदेश नीति का पालन:** भारत ने ऐतिहासिक रूप से खुद को एक स्वतंत्र विकासशील देश के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कभी महान शक्तियों के दबाव में अपनी विदेश नीति को परिवर्तित नहीं किया है, चाहे विश्व व्यवस्था द्विध्रुवीय (वर्ष 1947-1991) रही हो, एकध्रुवीय (वर्ष 1991-2008) रही हो या बहुध्रुवीय (वर्ष 2008-वर्तमान) रही हो। भारत ने विश्व व्यवस्था के विभिन्न चरणों में स्वायत्त नीति का अनुसरण किया है:
  - **द्वितीय विश्व व्यवस्था (1947 से 1991):** शीत युद्ध और छद्म युद्धों के समय व्याप्त भूराजनीतिक तनावों के समय में भारत ने गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन किया और यूएसए या यूएसएसआर में से किसी का भी पक्ष लेने का विरोध किया।
  - **एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था (1991 से 2008):** यह वह समय था जब अमेरिका एक लंबे आर्थिक संकट से जूझ रहा था और चीन पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा था। भारत ने भी आर्थिक सुधारों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोली और अमेरिका, आसियान, इजराइल के साथ स्वतंत्र संबंधों का विस्तार किया।
  - **बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था (वर्तमान समय):** वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में, भारत ने अपनी सीमाओं और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए बहुपक्षीय गठबंधनों के साथ अपनी सॉफ्टपावर, विश्वसनीय भागीदार और मजबूत राष्ट्र की छवि को बनाए रखा है।
  - **विदेश नीति में लचीलापन :** बदलती परिस्थितियों के अनुसार भारत में रणनीतिक स्वायत्तता के समायोजन का भी इतिहास रहा है। संकट के क्षणों में, भारत ने स्वतंत्रता की पुनर्व्याख्या की है और अस्तित्व के लिए लचीलापन दिखाया है।
  - **चीन-भारत युद्ध (1962):** चीन के साथ 1962 के युद्ध के दौरान, भारत संपूर्ण पूर्वी भारत पर अधिकार करने से चीन को रोकने के लिए आपातकालीन सैन्य सहायता के लिए अमरीका से मदद की अपील की।
  - **भारत-पाकिस्तान युद्ध (1971):** 1971 में पाकिस्तान के साथ बन रही युद्ध की परिस्थितियों के बीच भारत ने चीन और अमेरिका दोनों को रोकने के लिए सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि की।
  - **कारगिल युद्ध (1999):** भारत ने पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए अमेरिका द्वारा किए गए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का स्वागत किया।
- विभिन्न भू-राजनीतिक परिस्थितियों में भारत पर प्रमुख शक्तियों के साथ गठबंधन करने का दबाव जरूर बना लेकिन, भारत ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी और किसी भी बड़ी शक्ति के साथ संबद्ध नहीं हुआ।
- भारत ने बड़ी शक्ति के साथ समीकरणों को कूटनीतिक रूप से संतुलित करके अपनी स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हमेशा सुरक्षा की है।

भारत की विदेश नीति की वर्तमान दिशा

- भारत की विदेशी नीति में इस बात को अच्छी तरह समझा गया है कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे भारत के रूपांतरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनके समाधान के लिए वैश्विक सहयोग अनिवार्य है। वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर में भारत करीब 85 देशों को दवाओं और अन्य उपकरणों के माध्यम से मदद पहुँचा रहा है, ताकि ये देश भी महामारी का मुकाबला कर सकें।

- भारत ने सार्क एवं G-20 देशों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया साथ ही भारत ने मलेरिया निरोधक दवा हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन (HCQ) का निर्यात पूरी दुनिया को किया है।
- हाल ही में भारतीय वायुसेना ने "ऑपरेशन संजीवनी" चलाकर मालदीव को 6.2 टन अनिवार्य दवाओं और अस्पताल में प्रयुक्त वस्तुओं के साथ-साथ विषाणु परीक्षण की प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों का दल भेजकर, नेपाल में त्वरित प्रतिक्रिया दल भेजकर और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया योजना तैयार करने के लिए वर्चुअल बैठक बुलाकर और अपने क्षेत्रीय पड़ोसी देशों के साथ अपने उपकरण, विशेषज्ञता और संसाधन साझा करने के लिए हाल ही में स्थापित सार्क आपात निधि के एक भाग के रूप में $1 मिलियन डॉलर की राशि उपलब्ध कराई थी।
- ईरान की विदेश नीति में अमेरिका के साथ खराब संबंध सबसे ऊपर है, वहीं भारत के लिए अमेरिका और अरब देशों के साथ संबंध मायने रखता है। ईरान के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के साथ संबंधों को लेकर अरब देशों के रुख में बड़ा बदलाव हुआ है जिससे ये देश ज्यादा व्यावहारिक ढंग से भारत के साथ संबंधों को निभा रहे हैं।
- चीन की विस्तारवादी नीतियों और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वर्तमान गतिरोध को देखते हुये भारत एक बार फिर अपनी सामरिक स्वतंत्रता के संबंध में संक्रमण की स्थिति पर है।
- चीन और अमेरिका के बीच एक नए शीत युद्ध की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। चीन द्वारा भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती दिए जाने पर भारत की गुटनिरपेक्षता वाली पुरानी नीति का औचित्य धूमिल हो जाता है।
- यह आशंका भी जाहिर की जा रही है कि पिछले कुछ समय से अमेरिका से निकटता भारत की सामरिक स्वायत्तता नुकसान पहुंचा सकता है। हालाँकि, यह कहना जल्दबाजी ही है क्योंकि स्वतंत्र भारत कभी भी किसी बाह्य महाशक्ति के अधीन नहीं रहा है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति (Foreign Policy) में हुए बदलावों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। इस विदेश नीति की बदौलत ही न केवल वैश्विक मंचों पर भारत का मान बढ़ा है, बल्कि नई दिल्ली से एक निश्चित दूरी बनाये रखने वाले इस्लामिक देश भी उसके करीब आने लगे हैं। अब तक, छह मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है।

आगे की राह

- चीन जिस तरह हमारे लिए खतरा बनाता जा रहा है उसे देखते हुये भारत को अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, लेकिन अपनी स्वायत्तता को भी बनाए रखना चाहिए।
- चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर ही निर्भर होना भी उचित नहीं है। इससे ईरान और रूस के साथ भारत के संबंधों और स्वदेशी रक्षा आधुनिकीकरण को गति देने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
- भारत को एशिया और दुनिया भर की मध्यम शक्तियों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से स्वयं को स्वतंत्र शक्ति का केंद्र बनाए रखना चाहिए।
- विविधीकरण आत्मनिर्भरता का सार है। भारत को अमेरिका सहित कई रणनीतिक साझेदारों की आवश्यकता है, जो एक साथ मिलकर चीन को प्रतिसंतुलित करने पर जोर देते हों।
- भारत को अपनी भागीदारी केवल रूस, अमेरिका या चीन तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए बल्कि यूरोपीय संघ, आसियान आदि के साथ अपने संबंधों और गठबंधनों को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।
- वर्तमान महामारी ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया है उसके लिए भारत को एक आत्मनिर्भर विदेश नीति की भी आवश्यकता है। यह आत्मनिर्भरता किसी महाशक्ति से गठबंधन या अलगाव से नहीं बल्कि समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ सहयोग से प्राप्त हो सकती है। अतः भारत एक बहु-आयामी विदेश नीति के साथ अपनी क्षमता को अधिकतम करने आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए ? ऐसे कौन से कारक हैं जो विदेश नीति के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं?

04 चीन की अक्रामकता पर भारतीय अंकुश : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

- भारत-चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव जारी है। इस संदर्भ में 2 अगस्त को भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक में सीमा विवाद का कोई हल नहीं निकल सका। सैन्य कमांडर स्तर की बैठक में चीन ने अभी तक ऐसे संकेत भी नहीं दिए हैं कि वह पीछे हटने जा रहा है।
- इस स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए? क्या चीन को वैश्विक स्तर पर पृथक किया जा सकता है? इत्यादि मुद्दों पर इस लेख में विचार किया जायेगा।

परिचय

- एशिया में चीन और भारत दो प्रमुख शक्तियाँ हैं। इस स्थिति में यदि चीन भारत के साथ अपने सीमा विवाद को लम्बा खींचता है तो भारत के साथ-साथ चीन को भी घाटा उठाना पड़ेगा क्योंकि चीनी माल के लिए भारत एक बड़ा बाजार है।
- हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के भविष्य के संबंधों की रुपरेखा को सीमा विवाद से अलग नहीं देखा जा सकता है।
- भारत का कहना है कि 1960 में निर्धारित लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) से आगे आकर भारत के इलाकों पर चीनी सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसी के चलते भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव व्याप्त है।
- लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ चीनी आक्रामकता के आलोक में, भारत ने भी सैन्य और गैर-सैन्य दोनों प्रकार के प्रतिवादों को अपनाया था।
- गैर-सैन्य उपायों में वैश्विक व्यापार और निवेश, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में चीन को अलग करने के प्रयास शामिल थे।
- वहीं चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में भी अवैध रूप से कई क्षेत्रों पर कब्जा जमाया है या जमाने की कोशिश कर रहा है, 1970 के दशक में, चीन ने वियतनाम से पेरासेल द्वीप समूह पर नियंत्रण हड़प लिया था, इसके अलावा 1990 के दशक में, इसने स्प्रैटली द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया साथ ही दक्षिण चीन सागर के एक क्षेत्र में मिशीफ रीफ पर भी कब्जा कर लिया जिसे फिलीपींस ने हमेशा अपना क्षेत्र माना था।
- हांगकांग में भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून थोपकर वहाँ लोकतंत्र व स्वतंत्रता को कम करने का प्रयास कर रहा है। उपर्युक्त स्थितियों में क्या वैश्विक बिरादरी चीन का पृथक्करण कर सकती है?

पक्ष में तर्क

- यदि भारत तथा चीन के बीच विवाद अधिक बढ़ता है तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का झुकाव अमेरिका के तरफ और बढ़ेगा, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच तनाव भी अपनी चरम पर है। इस तरह से भारत अमेरिका के साथ मिलकर चीन को अलग-थलग कर सकता है।
- दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक रणनीति ने आसियान एवं अन्य देशों के साथ चीन के संबंधो को तनाव में डाला है हाल ही में मलेशिया के विदेशी मंत्री ने चीन के दक्षिण चीन सागर पर किये गये दावे को पूरी तरह खारिज किया है इस प्रकार धीरे-धीरे दक्षिण चीन सागर के आस-पास के देश भी अब चीन के खिलाफ मुखर होने लगे हैं। चीन की महत्वाकांक्षाएं व विस्तारवादी नीतियाँ पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनी हुई हैं।
- चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में काफी कम पारदर्शिता बरती है और छोटे-छोटे देशों को सशर्त धन देकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिसका उदाहरण श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट को दिया जाता है जिसे चीन ने 99 वर्षो के लिए लीज पर लिया है। इस प्रकार अब दुनिया के विभिन्न देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अतिरिक्त अन्य योजनाओं पर किए गये निवेश को भी शंका की दृष्टि से देखने लगे हैं।
- जिस प्रकार से COVID-19 महामारी के प्रसार की खबरें चीन से आयीं है उसने दुनिया के और भी देशों का चीन पर विश्वास कमजोर किया है अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों का आरोप है कि चीन ने कोरोना के शुरुआती आकड़ों को छुपाकर सभी को खतरे में जान-बुझकर डाला है।
- अमेरिका ने चीन की हुवेई जैसी कंपनी पर सुरक्षा की दृष्टि से बैन लगाया है अपने मित्र देशों से आवाहन किया है कि वो अपने यहाँ हुवेई के 5 जी के ट्रायल न

होने दें। अमेरिका ने इसके अतिरिक्त चीन के पृथक्करण हेतु अन्य उपाय भी किये हैं। कुछ विशेषज्ञ संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते को चीन व ईरान के घनिष्ठ संबंधों के प्रतिक्रिया स्वरुप भी देख रहे हैं।

- कुछ विशेषज्ञ क्वाड ग्रुप भारत अमेरिका आस्ट्रेलिया और जापान को भी चीन को संतुलित करने के संबंध में देखते हैं ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्रों में चीन को अलग अलग किया जा सके।

विपक्ष में तर्क

- वर्तमान में चीन पूरे विश्व का विनिर्माण केंद्र है, इसलिए दुनिया के विभिन्न देश चाहकर भी अधिक दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को चीन की अर्थव्यवस्था से विलग करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए नजदीकी समय में चीन का पृथक्करण लगभग असम्भव है।
- यही कारण है कि पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और यूनाईटेड किंगडम की सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि चीन से विभिन्न क्षेत्रों खासकर आर्थिक क्षेत्र में मजबूत संबंध चाहते हैं जबकि ये देश अभी तक COVID-19 महामारी के प्रसार हेतु चीन को जिम्मेदार मान रहे थे।
- भारत का फार्मा उद्योग के कच्चा माल का लगभग 70 से 75 फीसदी हिस्सा चीन से आता है। इसके अतिरिक्त भारत में चीन से अन्य कई उद्योग के लिए कच्चा माल चीन से ही आता है। इस प्रकार भारत भी वर्तमान में चाहकर के भी चीनी अर्थव्यवस्था से अपने आपको अलग नहीं कर पायेगा।
- इस समय चीन और अमेरिका दोनों ही देश पूर्व के शीत युद्ध के भांति विभिन्न देशों को अपने-अपने खेमे में लाना चाहते हैं। लेकिन चीन के साथ सीमा साझा करने वाले देश अमेरिका के साथ आने में झिझक रहे हैं,क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे चीन के साथ उनके संबध और खराब हो सकते हैं। कुछ विशषज्ञों का यह भी कहना है कि विभिन्न देशों का यह भी मानना है कि इससे चीन में शी जिंगपिंग के बाद कोई अन्य राष्ट्रपति सत्ता में आया तो हो सकता है कि तब संबंध सामान्य हो जाएँ और चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर विराम लगा दे।
- चीन एशिया और आसपास के क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक प्रगति का उपयोग कर रहा है। हाल ही में चीन ने कई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए है यथा-नेपाल, पाक, रूस, ईरान, अफगानिस्तान इत्यादि। चीन अब अफगानिस्तान तक सीपेक (CPEC) को विस्तारित करना चाहता है। चीन ने ईरान के साथ हाल ही में लगभग 400 बिलियन डॉलर के निवेश हेतु समझौता किया है। ऐसे में चीन को वैश्विक स्तर पर पृथक करना मुश्किल है।

आगे की राह

- चीन की महत्वाकांक्षी व विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ विश्व के सभी देशों को एक साथ आना चाहिए और भारत को भी अपनी विदेशी नीति को इस प्रकार कर्यान्वित करना चाहिए जिससे कि सर्वोतम राष्ट्रीय हितों को साधा जा सके।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. चीन की आक्रमकता पर अंकुश लगाने के लिए भारत विश्व के विभिन्न देशों के साथ मिलकर चीन को अलग-थलग करने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। चर्चा कीजिए।

05 परमाणु हमले की 75वीं वर्षगाठ और वर्तमान परमाणु जोखिम

संदर्भ

- 6 अगस्त और 9 अगस्त, 1945 जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए दो परमाणु बमों 'लिटिल बॉय' और 'फैट मैन' ने लगभग 150,000 लोगों की जान ले ली थी । इसके अलावा लगभग 130,000 अन्य लोगों की जलने, विकिरण से उत्पन्न बीमारी इत्यादि से मृत्यु हो गई थी क्योंकि उस वक्त परमाणु हमलें से ध्वस्त हो चुकी स्वास्थ्य प्रणाली के कारण इनका इलाज नहीं हो सका था। 75 साल पहले घटित हुई इस भयावहता को याद करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परमाणु-सशस्त्र राज्य परमाणु हथियारों की वास्तविक प्रकृति को न भूलें। वर्तमान में, COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक-स्वास्थ्य आपातकाल के बीच प्रमुख शक्तियों के गैर-संवेदनशील व्यवहार ने भूराजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है जिससे परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ गया है।

SIPRI के अनुसार विश्व में कुल परमाणु हथियारों की स्थिति

- शस्त्रीकरण, नि:शस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन करने वाली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट' (SIPRI) की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि परमाणु हथियारों की संख्या में कुल गिरावट के बावजूद परमाणु सम्पन्न शक्तियां अपने शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण कर रही हैं। रिपोर्ट में चीन के द्वारा न्यूक्लियर ट्रायड को विकसित करने के प्रति आगाह किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार 2020 की शुरुआत में "नौ परमाणु संपन्न देशों - अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया-के पास कुल मिलाकर 13,400 परमाणु हथियार थे।
- रिपोर्ट के अनुसार चीन के शस्त्रागार मे कुल 320 हथियार हैं, पाकिस्तान के पास 160 जबकि भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं।

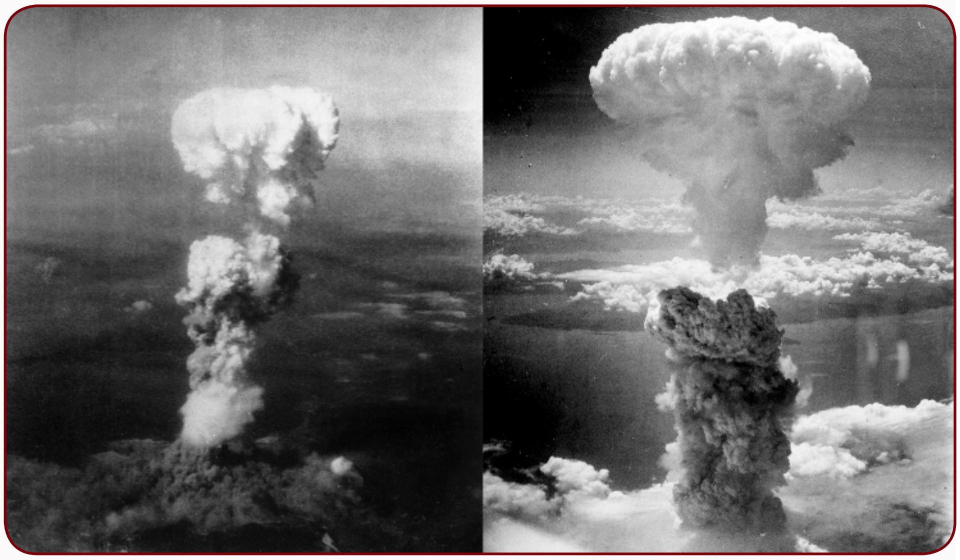

- SIPRI की 2019 की रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन के पास 290 परमाणु हथियार हैं जबकि भारत के पास 130 से 140 के करीब हथियार और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार में 150 से 160 हथियार हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों के साथ अमेरिका शीर्ष पर है जिसके पास 5,800 परमाणु हथियार भंडार में और 1,570 तैनात हैं । इसके साथ कुल 6,375 परमाणु हथियारों के साथ रूस दूसरे नंबर पर है।

मानव त्रासदी का कारक बन सकता है परमाणु बम

- विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि परमाणु हथियारों के वर्तमान स्टॉक के एक अंश का उपयोग भी बड़े पैमाने पर मानव त्रासदी का कारण बन सकता है। इससे न सिर्फ जान का नुकसान होगा बल्कि भविष्य में भोजन और पानी की उपलब्धता, कृषि उत्पादन और जलवायु परिवर्तन पर दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ेगा।
- परमाणु शक्ति सम्पन्न दो विरोधियों के बीच किसी भी परमाणु उपयोग से मानवीय आपदा आ सकती है। हालांकि इसकी संभावना न के बराबर है कि कोई देश परमाणु प्रतिशोध के जोखिमों को देखते हुए भी जानबूझकर, पूरे होश में परमाणु हमले का सहारा ले।

परमाणु युद्ध को बढ़ावा देने वाले भूराजनीतिक तनाव

- विश्व भूराजनीतिक पटल पर दुनिया की महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार बढती जा रही है जिससे इस इन शक्तियों के बीच महायुद्ध होने की आशंका बढ़ती जा रही है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख कारक हैं जिसने अनपेक्षित परमाणु आयुध के प्रयोग की संभावना को बढ़ाते हैं:
    - तनावपूर्ण अंतर-राज्य संबंधों ने अंतर-राज्य विश्वास को कम किया है।
    - उत्तर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव
    - रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव
    - अमेरिका और चीन के बीच तनाव
    - भारत और उसके दो परमाणु-शक्ति सम्पन्न पड़ोसियों, चीन और पाकिस्तान के बीच तनाव।

परमाणु आयुध को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारण

1. परमाणु हथियारों का अनियंत्रित रणनीतिक आधुनिकीकरण:

- रूस और अमेरिका दोनों ही अपने परमाणु आयुध भंडार को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक और महंगे कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। विगत कुछ समय से यूनाइटेड किंगडम में भी इसी तरह की मांग की जा रही है।

- चीन भी अपने परमाणु शस्त्रागार को अधिक मजबूत करने का लगातार प्रयास करता रहता है।
- उत्तर कोरिया भी परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है।
- पाकिस्तान के द्वारा भी लगातार परमाणु हथियारों के अपने जखीरे में वृद्धि की जा रही है।

2. वैश्विक हथियार नियंत्रण व्यवस्था की विफलता

- 2010 की नई रणनीतिक हथियार न्यूनीकरण संधि (NEW START) की अवधि 2021 में समाप्त हो रही है। अमेरिकी प्रशासन ने इस संधि को नवीनीकृत के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की है।
- इससे विश्व के सर्वाधिक परमाणु हथियारों वाले दो देशों के बीच परमाणु कार्यक्रमों के नियंत्रण को समाप्त कर देगा।
- इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज-INF संधि के तहत शीत युद्ध के दौरान 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक परमाणु हथियार-नियंत्रण समझौता हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने मध्यम-दूरी और कम दूरी की भूमि-आधारित परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम मिसाइलों की संख्या में कमी करने के लिए सहमत हुये थे। 2 अगस्त 2019 को अमेरिका इस संधि से पीछे हट गया।
- ईरान और P5+1 के बीच परमाणु वार्ता भी विफल हो गई है, ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुये अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का प्रयास कर रहा है।

3. आक्रामक परमाणु रवैया अपनाना

- देशों का प्रथम प्रयोग की नीति से पीछे हटना।
- सीमित परमाणु युद्ध की अवधारणा को समर्थन दिया जाना
- उभरती प्रौद्योगिकियों ने परमाणु युद्ध की चिंताएं बढ़ाई हैं और इन नई प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले अज्ञात जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।
- पारंपरिक हथियार प्रणाली और परमाणु हथियार प्रणाली के बीच बहुत कम अंतर देखने को मिलता है। संबन्धित देश पहले पारंपरिक हथियार प्रणाली खरीदते हैं और फिर उसका परमाणु हथियारों के उपयोग के लिए उन्नयन किया जाता है।

परमाणु आयुध को कम करना आवश्यक

- परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों और परमाणु तकनीकों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देने और परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को हासिल करना था. वर्ष 1970 में लागू हुई इस संधि पर अब तक 191 सदस्य देश मुहर लगा चुके हैं जिनमें पांच परमाणु हथियार संपन्न देश भी शामिल हैं। वर्ष 1995 में इस संधि की मियाद को अनिश्चितकालीन अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।
- परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) को अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बताते हुए जानकार मानते हैं कि यह निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और परमाणु अप्रसार के प्रयासों की अहमियत का उदाहरण है। सुरक्षा संधियों से इतर, बहुत कम ऐसी बहुपक्षीय संधियां हैं जो एनपीटी की सफलता के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती हैं। पचास सालों से इसने सभी सदस्य देशों को सुरक्षा लाभ प्रदान किया है। इसके अलावा निम्नलिखित सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-
- संधि के प्रति संकल्प को पुरजोर ढंग से फिर प्रकट किया जाए
- परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करने के मानदंडों के प्रति पुन: संकल्प लिया जाए
- जोखिम घटाने के लिए कार्रवाई का एक पुलिंदा तैयार किया जाए जिससे दुनिया को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से दूर और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में ले जाया सके।
- परमाणु अप्रसार की चुनौतियों के बदलते रूपों की शिनाख्त हो और उसके अनुरूप तंत्रों में बदलाव की अहमियत को समझा जाए
- बदलती दुनिया में निरस्त्रीकरण, अप्रसार और शस्त्र नियंत्रण के लिए दूरदर्शितापूर्ण उपायों को अपनाया जाए

आगे की राह

- राष्ट्रों में परमाणु जोखिम के प्रति जागरूकता लाने के लिए नेताओं और समाज के सभी हितधारकों को परमाणु हथियारों के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक प्रभावों से अवगत कराये जाने की आवश्यकता है। इसे सबसे प्रभावी रूप से लोकप्रिय मीडिया के उपयोग के माध्यम से किया जा सकता है।
- जिस तरह COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में इस संक्रामक रोग के विभिन्न पहलुओं के बारे में वैश्विक स्तर पर बड़ी तीव्रता से जानकारी के प्रसार के माध्यम से सफल बनाया जा रहा है, उसी तरह परमाणु हथियारों की विनाशकारी क्षमता के बारे में भी समान रूप एक सूचना प्रसारण अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वैश्विक मंचों के द्वारा राष्ट्राध्यक्षों को अपनी हथियार आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिससे राष्ट्रों में परमाणु जोखिम को कम करने के तरीके खोजने का एक नैतिक दबाव भी बनेगा। अंतत: धीरे-धीरे परमाणु हथियारों के खात्मे की दिशा में मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. हाल ही में कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक आपातकाल ने प्रमुख शक्तियों के गैर संवेदनशील व्यवहार से भू-राजनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है। टिप्पणी करें।

06 बालश्रम की निकृष्टतम स्थिति पर आइएलओ सम्मेलन : सार्वभौमिक समर्थन

चर्चा का कारण

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की बालश्रम की निकृष्टतम स्थिति पर आईएलओ सम्मेलन को सार्वभौमिक मंजूरी विश्व के सभी देशों द्वारा दी गयी।

परिचय

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में बताया है कि 'अभिसमय नम्बर 182' को सभी सदस्य देशों ने पुष्टि कर दी है। टोंगो, सबसे अंतिम सदस्य देश है जिसने इस अभिसमय की पुष्टि (Retify) की है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 101 वर्षो के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि श्रम मानकों (Labour Standards) से सम्बन्धित अभिसमय को उसके सभी सदस्य देशों ने पुष्टि की है।
- आइएलओ के 'अभिसमय नम्बर 182' को सन् 1999 में अपनाया गया था। इस अभिसमय का आधिकारिक नाम 'बाल श्रम का सबसे खराब रूप अभिसमय, 1999' (Worst forms of Child Labour Convention, 1999) है।
- यह, 'अभिसमय नम्बर 138' या 'न्यूनतम आयु अभिसमय, 1973' (minimum Age of Connection, 1973) का पूरक है; अर्थात् अभिसमय नम्बर 182, अभिसमय नम्बर 138 में छूट गयी कमियों को पूरकता प्रदान करने हेतु लाया गया था ताकि बच्चों का उचित ढंग से संरक्षण किया जा सके।
- भारत ने उपर्युक्त दोनों अभिसमयों (अभिसमय 182 व 138) की सन् 2017 में पुष्टि की थी।

आईएलओ का 1998 का घोषणापत्र (Declaration)

- आईएलओ के 1998 के घोषणापत्र में सभी सदस्य देशों से आह्वान किया गया था कि वो अपने यहाँ काम की दशाओं की स्थिति सुधारने हेतु निम्नलिखित आठ अभिसमयों की पुष्टि करें और अपने-अपने यहाँ इन संधियों

के मुताबिक कानून व नियम बनायें-

- फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गनाइज कन्वेंशन, 1948 (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948) या अभिसमय नंबर 87
- राईट टू एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, 1951 (Right to Organise and Collective Bargaining Convention,1951) या अभिसमय नंबर 98
- बालश्रम सम्मेलन, 1930 (Forced Labour Convention, 1930) या अभिसमय नंबर 29
- बालश्रम उन्मूलन सम्मेलन, 1957 (Abolition of Forced Labour Convention, 1957) या अभिसमय नंबर 105
- न्यूनतम आयु सम्मेलन, 1973 (Minimum Age Convention, 1973) या अभिसमय नंबर 138
- बालश्रम का सबसे खराब रूप सम्मेलन, 1999 (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999) या अभिसमय नंबर 182
- समान पारिश्रमिक कन्वेंशन, 1951(Equal Remuneration Convention, 1951) या अभिसमय नंबर 100
- भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) कन्वेंशन, 1958 (Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958) या अभिसमय नंबर 111
- उपर्युक्त आठ अभिसमय (कन्वेंशन) बताते हैं कि कार्यस्थल पर श्रमिकों के किस प्रकार के अधिकार होंगे और किन-किन आधारभूत सिद्धान्तों (Fundamental Principles) को कार्यस्थल पर संगठनों, संस्थानों, कम्पनियों आदि को अपनाना चाहिए।
- आईएलओ के 1998 के घोषणापत्र के अभिसमय नम्बर 182 को हाल ही में सभी देशों ने अपनाया है।

अभिसमय नम्बर 182 के प्रावधान

- इस अभिसमय में बच्चों को श्रम करवाने से मनाही की गयी है।
- इस अभिसमय में बच्चों की ट्रैफिकिंग, यौन उत्पीड़न, उन्हें संघर्ष क्षेत्र में एक हथियार के रूप में हासिल करना इत्यादि को लेकर प्रावधान किये गये हैं, ताकि इनके शोषण के सभी रूपों को रोका जा सके।
- इस संधि में यह भी उपबन्धित किया गया है कि बच्चों की भलाई (well-being)

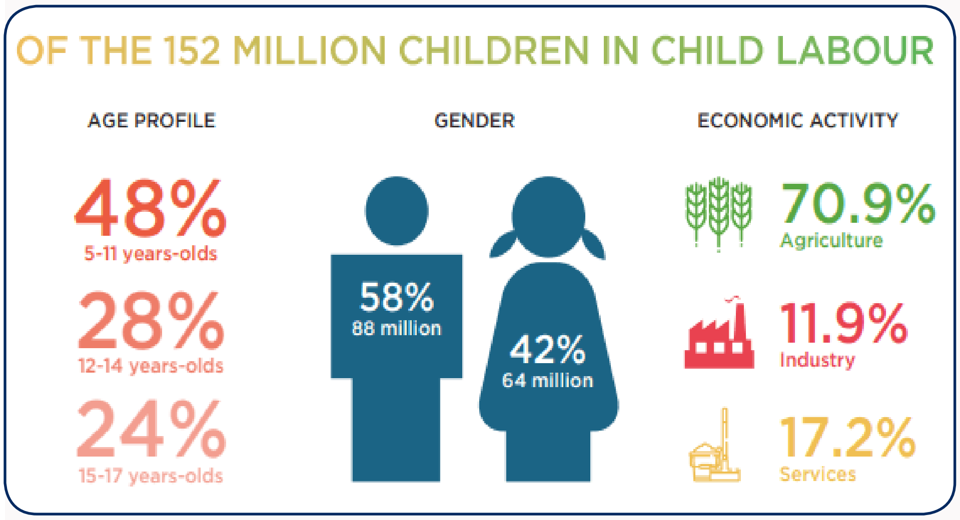

सुनिश्चित करने हेतु सभी सदस्य देश प्रयास करेंगे।

अभिसमय नम्बर 182 के लाभ

- इस संधि के मुताबिक विभिन्न देशों ने कई तरह के कानून व नियम बनाये हैं, जिससे बच्चों के बचपन को बचाया जा सका है और उन्हें खतरनाक कार्यदशाओं (यथा-खदान आदि में कार्य करना) से निकाला जा सका है।
- दुनिया में जब बाल श्रम में कमी आयी (मुख्यत: विकासशील व गरीब देशों में) तो बच्चों की शिक्षा भी सुनिश्चित हो पायी है।
- बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण पर भी उचित ध्यान दिया जा सका है।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में दुनिया में लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल-श्रम कर रहे हैं और इनमें से 72 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो खतरनाक कार्यदशाओं में बालश्रम हेतु मजबूर हैं। यह स्थिति प्रदर्शित करती है कि बालश्रम अभी भी दुनिया के समक्ष गंभीर चुनौती के रूप में व्याप्त है।
- आईएलओ ने वर्ष 2025 तक पूरी दुनिया से बालश्रम के सभी रूपों को खत्म करने का लक्ष्य रखा है; लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखते हुए इस लक्ष्य को पाना काफी कठिन लग रहा है।
- कोविड-19 महामारी ने लोगों की आर्थिक स्थिति को काफी कमजोर किया है। इसने गरीबी को बढ़ाया है और भारी मात्रा में लोगों के रोजगार छीने हैं। इस स्थिति में कार्य की दशायें और भी खराब हो सकती हैं।
- कोविड-19 की वजह से स्कूल भी बंद रहे हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक की एक साझा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 के कारण हुई बंदी के दौरान 41 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं और इनमें से ज्यादातर लोग कृषि व विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस स्थिति में कार्यस्थलों पर भारत में भी कार्य दशाओं के खराब होने का काफी अधिक खतरा बढ़ गया है।
- आईएलओ के 1998 के घोषणापत्र में कार्यदशाओं को सुधारने हेतु 8 अभिसमयों की चर्चा की गयी है, लेकिन अभी इनमें से सिर्फ दो अभिसमयों (182 व 138) की ही सभी देशों ने पुष्टि की है, जबकि अन्य अभिसमयों की पुष्टि अभी होना बाकी है जो काफी चुनौतीपूर्ण है।

प्रयास

- बाल श्रम को पूरी दुनिया से उन्मूलन करने हेतु आईएलओ के दो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं-
  - बाल श्रम उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (International Programme on the Elimination of Child Labour-IPEC)
  - स्पेशल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट फोर्स्ड लेबर (Special Action Programme to combat Forced Labour-SAP/FL)
  - इसके साथ ही संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) के लक्ष्य 'संख्या 8' में काम की उचित दशाओं का वर्णन है तथा भारतीय संविधान में बच्चों की भलाई हेतु कई प्रावधान किये गये हैं, यथा-अनुच्छेद 21-A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 39(f)

निष्कर्ष

- बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, अत: इन पर निवेश (यथा-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) करने से एक उपयुक्त मानव संसाधन का निर्माण होता है। इसलिए इस दिशा में सभी हितधारकों को प्रयास करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

प्र. हाल ही में बालश्रम की निकृष्टतम स्थिति पर आइएलओ सम्मेलन का सभी देशों ने सार्वभौमिक समर्थन किया है। बालश्रम के संदर्भ व्याप्त चुनौतियों की चर्चा करने के साथ-साथ इसके उन्मूलन के लिए किये गये प्रयासों की भी चर्चा करें।

07 भारत का जनसांख्यिकीय भविष्य : संक्षिप्त परिचय

चर्चा का कारण

- हाल ही में दो वैश्विक स्तर के संगठनों ने अपनी जनसँख्या से संबंधित रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं।
- भारत के लिए औसत प्रजनन दर (Total Fertility Rate) हेतु यह धारणा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) में गर्भनिरोधक के इस्तेमाल और गर्भनिरोधक के बढ़ते उपयोग की संभावनाओं पर आधारित है।

स्वास्थ्य मेट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान की रिपोर्ट

- स्वास्थ्य मेट्रिक्स और मूल्यांकन संस्थान (Institute for Health Metrics and Evaluation-IHME) ने अपनी एक रिपोर्ट में उल्लिखित किया है कि सन 2048 तक भारत की जनसँख्या 1.61 बिलियन हो जायेगी।
- वर्ष 2048 तक भारत जनसँख्या वृद्धि में स्थिरीकरण आ जायेगा। इसके बाद भारत की जनसँख्या धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी सदी के अंत तक वर्ष 2100 में भारत की जनसँख्या 1.09 बिलियन हो जायेगी
- आईएचएमई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2100 आते-आते भारत में औसत प्रजनन दर 1.29 हो जायेगी, जबकि इसी समय अमेरिका और फ्रांस की औसत प्रजनन दर क्रमशः 1.53 और 1.78 होगी।
- हालाँकि आईएचएम द्वारा भारत की जनसँख्या हेतु गये आकलन पर कई विशेषज्ञ सवाल भी उठा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र संघ, ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2050 तक भारत की जनसँख्या लगभग 1.64 बिलियन हो जायेगी और फिर इसके बाद घटने लगेगी तथा सदी के अंत तक 1.45 बिलियन रह जायेगी

भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण

- जब किसी देश की अर्थव्यवस्था विकासशील व कृषि पर निर्भर अधिक होती है तो वहाँ जनसँख्या की वृद्धि काफी अधिक होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि यदि अधिक बच्चे पैदा किये जायेंगे तो कृषि कार्य हेतु उनके घर में अधिक कार्यबल की उपस्थिति होगी।
- भारत में पितृसत्तात्मक समाज और लैंगिग असमानता ने जनसँख्या वृद्धि में प्रमुख रूप से भूमिका निभायी है भारतीय समाज में बेटों की चाह ने जनसँख्या में काफी वृद्धि की है।
- महिलाओं में शिक्षा की कमी भी जनसँख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है हाल ही में भारत में सर्वेक्षण में अपया गया कि जिन महिलाओं की शिक्षा कक्षा 12 या इससे अधिक थी उनकी औसत प्रजनन दर 1.7 थी और जिन महिलाओं की किसी प्रकार की शिक्षा नहीं हुई थी उनकी औसत प्रजनन दर 3.1 थी।

जनसंख्या वृद्धि के नुकसान

- जब किसी देश की जनसँख्या वहाँ उपस्थित संसाधनों से अधिक हो जाती है अर्थात जनसँख्या की संसाधनों के साथ गैर-अनुपातिक वृद्धि होने लगती है तो वहाँ कई प्रकार की सामाजिक- आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होती है।
- जब समाज में कुछ वर्गों के पास संसाधनों की वंचितता आ जाती है तो वहाँ सामाजिक अस्थिरता भी पैदा होती है।
- एक स्तर से बढती हुई जनसँख्या गरीबी व कुपोषण को जन्म देती है।
- लोगों के जीवन की गुणवत्ता नकरात्मक रूप से प्रभावित होती है।
- आय के असमान वितरण का जोखिम काफी अधिक बढ़ जाती है।
- बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर उपयुक्त निवेश नहीं हो पाता है।

जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु भारत सरकार के प्रयासों की समीक्षा

- भारत में 1950 में कुल प्रजनन दर 6 थी अर्थात एक महिला औसत रूप से 6 बच्चों को जन्म देती थी। जबकि वर्तमान में कुल प्रजनन दर 2.2 है कुछ राज्यों मुख्यत: दक्षिण भारत के राज्यों में कुल प्रजनन दर 2 से भी नीचे पहुंच गयी है।
- आजादी के बाद भारत ने वर्ष 1951 में दुनिया का सबसे पहला जनसँख्या नियंत्रण हेतु राजकीय अभियान चलाया था किन्तु इस अभियान को अपेक्षित रूप से सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी।
- आपातकाल के दौरान बड़े स्तर पर सरकार ने जनसँख्या नियंत्रण हेतु अभियान चलाये

थे किन्तु इनमें से कुछ अभियान मानवता के विरोधी थे और लोगों को जनसँख्या नियंत्रण हेतु विवश किया गया। इस समय नसबंदी ने लोगों के मन में भय पैदा कर दिया था।

- सरकार के उपर्युक्त प्रयासों का परिणाम यह रहा कि 1960 में जहाँ भारत की कुल प्रजनन दर 5.9 थी तो वहीं लगभग 17% गिरवट के साथ 1980 में यह 4.9 हो पायीं।
- उदारीकरण के बाद सरकार ने जनसँख्या नियंत्रण हेतु अपने अभियान में कुछ बदलाव किये। अब जनसँख्या नियंत्रण हेतु दंड की नीति और जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया गया।
- दंड की नीति में दो से अधिक बच्चों पर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने की योजना अपनायी गयी यथा पंचायत का चुनाव न लड़ पाना सब्सिडी की मात्रा कम करना, दो से अधिक बच्चों पर महिला को भुगतान मातृत्व अवकाश (Paid Maternity Leave-PML) न उपलब्ध कराना इत्यादि।
- इसका यह परिणाम हुआ कि भारत की 1992 में कुल प्रजनन दर जहाँ 3.4 थी वहीं अब यह 2015 में घटकर 2.2 हो गयी अर्थात लगभग 35% की गिरावट देखी गयी। इन सार्वजनिक नीतियों का उद्देश्य छोटे परिवार के आदर्श को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, इन नीतियों को ज्यादातर व्यवहार में नजरअंदाज कर दिया गया था।
- कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 1990 के दशक से भारत के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ने भारत में TFR को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इस दौरान कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से छोटा हिस्सा बन गया और कृषि से बाहर की नौकरियों के लिए आकांक्षाएं बढ़ी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता कृषि पर कम हुई और विनिर्माण व सेवा क्षेत्र पर बढ़ी है। ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा पर निवेश बढाया जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृति कम हुई ,इसके बाद, माता-पिता ने अपने परिवार के निर्माण की रणनीतियों पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है।
- कुछ विशेषज्ञ सरकार की जनसँख्या नियंत्रण के प्रति दंड की नीति की आलोचना करते है उनका मानना है कि इससे गरीबों को काफी अधिक नुकसान होता है क्योंकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते हैं।

वर्तमान में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति सरकार का दृष्टिकोण

- वर्तमान में सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाये परिवार नियोजन से संबंधित जागरूकता पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। सरकार का मानना है कि लोग जब जागरूक व शिक्षित हो जायेंगे तथा भारत की अर्थव्यवस्था व स्वास्थ्य ढांचा मजबूत हो जायेगा तो जनसंख्या अपने आप नियंत्रित हो जायेंगी।
- पश्चिमी देशों में प्रजनन की गिरावट को मुख्य रूप से परिवार से पीछे हटने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, भारतीय माता-पिता की अपने बच्चों के बेहतर विकास आकांक्षाएं भारत में प्रजनन क्षमता में गिरावट का कारण बन सकती है।
- वर्ष 2017 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते वक्त कहा था कि सरकार परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों या चुनने में लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दे रही है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जनसंख्या नियंत्रण के प्रति शक्ति-युक्त तरीकों के अपनाने की मनाही की गयी है

आगे की राह

- किसी भी देश की जनसंख्या व वहाँ उपस्थित संसाधनों में ताल-मेल होना चाहिए। विभिन्न सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि महिला शिक्षा जनसंख्या वृद्धि को प्रबंधित करने का सबसे उत्तम तरीका है अतः सरकार को इस पर कार्य करने की जरूरत है।
- इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों, अर्थव्यस्था को मजबूत बनाने हेतु सरकार को निवेश बढ़ाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

प्र. भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारणों की पड़ताल करने के साथ-साथ जनसंख्या वृद्धि पर रोक के लिए सरकार द्वारा अपनाये गये प्रयासों की भी समीक्षा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 'D614G' कोरोना वायरस का नया रूप

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में मलेशिया में कोरोना वायरस (Cororna Virus) का एक नया स्ट्रेन (Strain) मिला है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस का यह स्ट्रेन पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा संक्रामक है।
- कई अध्ययन से यह भी पता चला है कि इस वायरस पर किसी भी मौजूदा टीके का असर बेहद कम होने की संभावना है।

2. पृष्ठभूमि

- कोविड-19 वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है। वायरस के इस म्यूटेशन की वजह से महामारी की रोकथाम के लिए प्रभावी वैक्सीन विकसित करना बेहद गंभीर चुनौती बनी हुई है।
- गौरतलब है कि मलेशिया में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार का पता चला है जो मौजूदा कोरोना से 10 गुना अधिक संक्रामक और खतरनाक है। इस तरह के वायरस दूसरे देशों में भी देखे गए हैं, जिसका नाम D614G दिया गया है। D614G का म्यूटेशन पहली बार जुलाई 2020 में पाया गया था।

3. मलेशिया में विस्तार का कारण

- यह वायरस शिवगंगा क्लस्टर मलेशिया में खोजा गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्ट्रेन इस क्लस्टर में संक्रमित मिले 45 लोगों के समूह में 3 लोगों में पाया गया। बताया जा रहा है कि यह वायरस भारत से लौटे एक रेस्तरां के मालिक के जरिए फैला। इस शख्स ने यात्रा के बाद 14 दिन के क्वारंटाइन नियम का भी पालन नहीं किया। विदित हो कि होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने के आरोप में मलेशियाई सरकार ने पांच महीने की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई थी।
- मलेशिया के ही एक और क्लस्टर में इस स्ट्रेन के मामले सामने आए हैं, जिसमें लोग फिलपींस से लौटकर मलेशिया आए थे। फ्लोरिडा की स्क्रिप्स यूनिवर्सिटी में हुई रिसर्च के अनुसार, यह म्यूटेटेड वायरस इंसानी कोशिकाओं में घुसने में ज्यादा सक्षम है। शोधकर्त्ताओं के अनुसार, स्पाइक प्रोटीन्स में बदलाव से वह एक साथ जुड़कर कोशिकाओं पर हमला करने की क्षमता बढ़ा लेता है। मलेशिया में अब तक कोराना वायरस के 9200 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 8859 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 125 लोगों की जान गई है।

4. D614G

- D614G उस प्रोटीन में मिलता है जो वायरस के स्पाइक को बनाता है। यही स्पाइक हमारी कोशिकाओं में सेंध लगाता है। यह म्यूटेशन अमीनो एसिड को D (एस्पार्टिक एसिड) से G (ग्लाइसिन), पोजिशन 614 पर बदलता है। इसीलिए इसका नाम D614G रखा गया है। D614G पहली बार फरवरी में यूरोप के भीतर सामने आया था। इसके बाद से यह SARS-CoV-2 का एक प्रमुख वैरियंट बन गया है। दुनियाभर के सैंपल्स में यह स्ट्रेन मिला है।

5. क्या कोविड-19 वैक्सीन की दक्षता प्रभावित होने की संभावना है?

- विशेषज्ञों का तर्क है कि म्यूटेशनों का टीकों की दक्षता पर असर पड़ने की संभावना नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो भी एक से अधिक वैक्सीन की जरूरत नहीं होती।
- हालांकि, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी कहा कि अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जिससे कहा जा सके कि कोरोना वायरस का यह स्ट्रेन ज्यादा गंभीर बीमारी फैला सकता है।

02 अरुणाचल प्रदेश को छठवीं अनुसूची में शामिल करने की माँग

1. चर्चा का कारण

- काफी समय से अरुणाचल प्रदेश में दो स्वायत्त परिषदों को स्थापित करने की मांग चली आ रही है, अरुणाचल राजनीतिक समूह संविधान की छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 (ए) के दायरे में पूरे अरुणाचल प्रदेश को लाने का आह्वान कर रहे हैं।
- अनुच्छेद 371 'क' कहता है कि नागालैण्ड के मामले में नागाओं की धार्मिक या सामाजिक परंपराओं, इसके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, नागा परंपरा कानून के अनुसार फैसलों से जुड़े दीवानी और फौजदारी न्याय प्रशासन और भूमि तथा संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संदर्भ में संसद की कोई भी कार्यवाही लागू नहीं होगी जब तक की नागालैण्ड की विधान सभा की स्वीकृति ना हो।

2. वर्तमान प्रावधानों में समस्याएँ

- अरुणाचल प्रदेश को अनुच्छेद 371H के तहत रखा गया है, जो कि राज्य के राज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चुप हैं जैसे कि अपनी भूमि, जल और जंगल पर स्वदेशी लोगों के अधिकार। छठी अनुसूची के विपरीत स्वदेशी समुदायों के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं हैं।

3. अरुणाचल प्रदेश की मांगे

- कई राजनीतिक दलों द्वारा अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में सम्मिलित किये जाने की मांग की जा रही है। छठी अनुसूची में सम्मिलित होने से अरुणाचल के मूल निवासियों को सभी प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त हो जायेंगे, जबकि अभी इन्हें मात्र संरक्षक के अधिकार प्राप्त हैं।
- राज्य को छठी अनुसूची में शामिल किये जाने पर राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर वैध स्वामित्व अधिकार मिल जायेगा, जिससे राज्य की केंद्रीय अनुदान पर निर्भरता काफी हद तक समाप्त होगी तथा वह आत्मनिर्भर बन सकेगा।

4. अनुसूचित क्षेत्र

- संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों का अर्थ है, राष्ट्रपति के आदेशानुसार ऐसे क्षेत्र जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 - 244 (ए) के साथ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं:
  - आदिवासी आबादी की उच्च संख्या
  - क्षेत्र की कॉम्पैक्टनेस और उचित आकार
  - क्षेत्र के विकसित प्रकृति
  - लोगों के आर्थिक मानक में विषमता।
- ये मानदंड भारत के संविधान में वर्णित नहीं हैं, लेकिन अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं।

7. स्वायत्त जिला परिषद

- जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, परिषद के आम चुनाव के बाद, परिषद की पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से पाँच वर्षों के लिए पद धारण करेंगे।
- प्रत्येक स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं:
  - राज्यपाल द्वारा चार नामित किए जाते हैं।
  - बाकी चुनावों के जरिए चुने जाते है।

6. छठी अनुसूची के प्रमुख प्रावधान

- यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत किया गया है।
- इसके अंतर्गत चार राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है।
- 6 वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद, केंद्रीय राज्य संरचना के आधार पर प्रशासनिक आवश्यकताओं को निर्देशित करने में एक बड़ी भूमिका देता है।
- राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को गठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार है।
- यदि एक स्वायत्त जिले में अलग-अलग जनजातियाँ हैं, तो राज्यपाल जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित कर सकता है।

5. संविधान की छठी अनुसूची

- वर्तमान में छठी अनुसूची के अंतर्गत चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की 10 स्वायत्त जिला परिषदें सम्मिलित हैं।
- 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित छठी अनुसूची, स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है।

03 डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सर्फशर्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ (DQL) इंडेक्स, 2020 जारी किया है, इसके अनुसार, भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है।

2. विभिन्न देशों का प्रदर्शन

- सूचकांक में स्कैंडिनेवियाई देश डेनमार्क और स्वीडन तथा कनाडा क्रमशः शीर्ष तीन स्थानों पर रहे।
- वहीं यूके, फ्रांस और लिथुआनिया साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा प्रदर्शन में शीर्ष स्थान पर रहे।
- इसके अलावा सर्वाधिक विकसित ई-इन्फ्रॉस्ट्रक्चर में संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन और डेनमार्क क्रमशः शीर्ष तीन स्थानों पर रहे।
- सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट गुणवता में सिंगापुर, स्वीडन और नीदरलैंड ने सर्वोच्च प्रदर्शन किया। साथ ही सिंगापुर, यूके और अमेरिका का ई-गवर्नमेंट संकेतक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा।
- इजराइल में इंटरनेट सबसे सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाता है।
- कुल देशों में से 75% देशों में इंटरनेट का व्यय वहन करने के लिए वैश्विक औसत से अधिक काम करना पड़ता है।

3. भारत का प्रदर्शन

- 85 देशों की रैंकिंग में, भारत इंटरनेट सामर्थ्य संकेतक में नौवें तथा ई-गवर्नमेंट संकेतक में 15वें स्थान पर है।
- सूचकांक में भारत को समग्र रूप से 57 वां स्थान प्राप्त हुआ है।
- हालाँकि इस संकेतक में इंटरनेट लागत पर भारत का इस संकेतक पर सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है।
- इसके अलावा ई-गवर्नमेंट संकेतक में भारत ने नीदरलैंड, चीन और बेल्जियम को पीछे करते हुए 15 वां स्थान हासिल किया है।
- परन्तु इंटरनेट गुणवत्ता में भारत को 78 वीं रैंक प्राप्त हुई और यह बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया और फिलीपींस जैसे देशों से पीछे रहा।
- साथ ही भारत सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी अपनाने की दर में पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे रहा तथा सूचकांक में 79वां स्थान प्राप्त किया।

4. इस सूचकांक से सम्बंधित मुख्य तथ्य

- यह विश्व के 85 देशों (डिजिटल जनसंख्या का 81%) की डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता पर किया गया वैश्विक शोध है।
- इस अध्ययन में डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले निम्न पाँच बुनियादी आधारों को प्रमुखता दी गई है जिनमें शामिल हैं:
  - इंटरनेट की वहनीयता
  - इंटरनेट की गुणवत्ता
  - इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर
  - इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा
  - इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट

5. इंटरनेट संबंधित अन्य सरकारी पहल

- **डिजिलॉकर:** यह भारतीय नागरिकों को क्लाउड पर कुछ आधिकारिक दस्तावेजों को संग्रहित करने में सक्षम बनाता है।
- **भारत नेट कार्यक्रम:** सभी ग्राम पंचायतों में एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करना।
- **ई-क्रांति:** राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0, जो कि डिजिटल इंडिया पहल का एक आवश्यक स्तंभ है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान अभियान:** नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना।
- **BHIM App:** डिजिटल भुगतान में सक्षम बनाना।
- **डिजिटल इंडिया प्रोग्राम:** यह भारत को ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिये तैयार करने हेतु चलाया गया एक समग्र कार्यक्रम है।

04 राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन करने का निर्णय किया है।
- यह National Recruitment Agency समूह- ख और ग (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा (सीईटी) आयोजित करेगी।

2. क्या है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी?

- एनआरए (NRA) एक बहु-एजेंसी निकाय होगी, जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी।
- एनआरए के तहत वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित होगी और इसका स्कोर तीन वर्ष तक मान्य रहेगा।
- इस कदम से न सिर्फ भर्ती, चयन और नौकरी में प्लेसमेंट आसान होगा, बल्कि समग्र रूप से सुगमता सुनिश्चित होगी।
- इसके तहत कुल 1,000 केन्द्र खोले जाएंगे, इसके लिए देश के प्रत्येक जिले में एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें 117 आकांक्षी जिले शामिल हैं।
- अभी एनआरए को केवल कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है, और इसके निहितार्थ, परीक्षा पैटर्न और सीईटी के आचरण के बारे में विवरण सरकार द्वारा अंतिम रूप से जारी किए जाने के बाद उम्मीदवारों को अधिसूचित किया जाएगा।

3. NRA की आवश्यकता

- वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीवारों को पात्रता की समान शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है।
- इसके अलावा उम्मीदवारों को भिन्न-भिन्न भर्ती एजेंसियों को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है।
- इन अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं से उम्मीदवारों के साथ-साथ संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ पड़ता है।

4. एनआरए का महत्व

- एनआरए के तहत एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।
- एनआरए वर्ष में दो बार आनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित करेगा।
- अभ्यार्थियों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक पत्र, मेधा सूची आदि आनलाइन माध्यम से संचालित होंगी। इसके लिए सीईटी अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी।
- यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर प्राप्त करना सुविधाजनक बनाएगी।
- इससे गरीब पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को राहत मिलेगी।
- सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।
- आने वाले समय में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों को प्रदान सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।

5. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी हेतु बजट

- ध्यातव्य है कि फरवरी माह में केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) आयोजित करने के लिए इस प्रकार की एक एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई थी।
- इसी संदर्भ में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह व्यय तीन वर्षों की अवधि में किया जाएगा।
- एनआरए की स्थापना के अलावा, 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए भी राशि खर्च होगी।

05 भादभूत परियोजना

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में गुजरात सरकार ने भरूच जिले में नर्मदा नदी पर बनने वाले भादभूत परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। गुजरात के भरूच में 4,167 करोड़ रुपये की भादभूत परियोजना क्षेत्र में मीठे पानी की समस्याओं को हल करने का प्रयास है।
- इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न, मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न के प्रभावित होने की संभावना है।

2. भादभूत परियोजना क्या है?

- यह परियोजना नर्मदा नदी के पार, भादभूत गाँव से 5 किमी. और नदी के मुहाने से 25 किमी. दूर स्थित है, जहाँ नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है।
- यह बैराज सरदार सरोवर बांध से बहने वाले अधिकांश अतिरिक्त पानी को समुद्र तक पहुंचने से रोक देगा और इस तरह नदी पर 600 मिलीमीटर (मिलियन क्यूबिक मीटर) की "मीठे पानी की झील" का निर्माण करेगा। भादभूत बांध परियोजना का उद्देश्य नर्मदा नदी में पानी का खारापन रोकना है।
- यह बैराज में छह लेन की सड़क भी होगी जो नदी के बाएं और दाएं किनारे को जोड़ेगी और सूरत और भरूच में दो बड़े औद्योगिक सम्पदा के बीच की भूमि को कम करेगी।
- जब वर्षा सामान्य से अधिक होती है, ऐसे में परियोजना का लक्ष्य बाढ़ को रोकना है। इस परियोजना के अंतर्गत 22 किमी लंबा तटबंध बनाया जाएगा जिसे नदी के दोनों ओर से भरूच की ओर बढ़ाया जाएगा।

3. परियोजना का उद्देश्य

- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लवणता को रोकना है। 21 वीं सदी की शुरुआत में, अनुमानित 16.30 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी बांध से छोड़ा जाता था। 2017 में बांध की ऊंचाई बढ़ने से नदी में प्रवाह कम होकर 4.7 एमएएफ हो गया। ताजे पानी के कम प्रवाह के कारण, उच्च ज्वार के दौरान नर्मदा मुहाना में खारा समुद्री जल जमाव हो जाता है, जिससे खारे पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है। इस परियोजना के तहत जलाशय से मीठा पानी भरुच, अंकलेश्वर और दाहेज की आवासीय और औद्योगिक जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
- यह परियोजना वृहद कल्पसर परियोजना का हिस्सा है, जिसमें भरूच और भावनगर जिलों के बीच खंभात की खाड़ी में 30 किलोमीटर के बांध का निर्माण होता है। यह जलाशय नर्मदा, महिसागर और साबरमती के जल का दोहन करने के लिए है।

5. परियोजना का अन्य क्षेत्रों पर प्रभाव

- इस परियोजना के निर्माण से आलिया बेट का एक हिस्सा, जो झींगा की खेती के लिये प्रसिद्ध है, के जलमग्न होने की संभावना है। आलिया बेट नर्मदा के डेल्टा में एक द्वीप है।

4. प्रभाव

- एक समुद्री मछली हिलसा जो नदी की विपरीत धारा में पलायन करती है आमतौर पर जुलाई और अगस्त के मानसून के महीनों के दौरान भरूच के पास नर्मदा मुहाना के खारे पानी में आ जाती है और नवंबर तक ऐसा करती रहती है। बैराज के बन जाने के बाद, उनकी प्राकृतिक प्रविष्टि अवरुद्ध होने की उम्मीद है।
- कोलकाता स्थित सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट (CIFRI) के एक अध्ययन के अनुसार, नर्मदा मुहाना से मछली उत्पादन 2006-07 में 15,889 टन से गिरकर 2014-15 में महज 1,618 टन रह गया है। बांध से पानी का कम बहिर्वाह, नदी में बहने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और लवणता को इस गिरावट का प्रमुख कारण माना जाता है।

06 बायोइथेनॉल सम्मिश्रण

1. चर्चा का कारण

- भारत सरकार ने कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ethanol blending programme) के तहत 2022 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत बायोइथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है जिसे 2030 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करना है।

2. प्रमुख बिन्दु

- **'राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति'**: 2018 में जैव ईंधनों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसके तहत प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन में शीरे से बनाए गए इथेनॉल और कुछ गैर खाद्य तिलहनों से तैयार जैव डीजल, दूसरी श्रेणी यानी विकसित जैव ईंधनों में शहरी ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से तैयार इथेनॉल तथा तीसरी श्रेणी के जैव ईंधन में जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
- इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथेनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

3. आवश्यकता क्यों

- विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है। इस तरह के उतार चढ़ाव दुनिया भर की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में, विशेष रूप से विकासशील देशों पर दबाव डाल रहे हैं।
- वर्तमान में परिवहन ईंधन की 72% अनुमानित मांग केवल डीजल और इसके बाद पेट्रोल 23% और शेष अन्य ईंधन जैसे सीएनजी,एलपीजी इत्यादि पूरा करते हैं जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है ।
- भारत में जैव ईंधनों का रणनीतिक महत्व है, क्योंकि ये सरकार की वर्तमान पहलों मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास के अनुकूल है और किसानों की आमदनी दोगुनी करने, आयात कम करने, रोजगार सृजन, कचरे से धन सृजन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को जोड़ने का अवसर प्रदान करता है। भारत का जैव ईंधन कार्यक्रम जैव ईंधन उत्पादन के लिए फीडस्टॉक की दीर्घकालिक अनुप्लब्धता और परिमाण के कारण बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है।

4. इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम

- वर्तमान में, भारत में 5 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम 2003 में शुरू किया गया था।
- इथेनॉल एक इको फ्रेंडली ईंधन है जिसका निर्माण गन्ने के रस से किया जाता है। इथेनॉल का निर्माण चीनी मिलों में किया जाता है। यह नॉन-टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल है साथ ही संभालने में आसान, स्टोर और ट्रांसपोर्ट के लिए सुरक्षित है। यह एक ऑक्सीजनयुक्त ईंधन है जिसमें 35 फीसदी ऑक्सीजन होती है। इथेनॉल के इस्तेमाल से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है। यही कारण है कि सरकार पेट्रोल के स्थान पर इथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है।
- जैव ईंधनों को 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) जैव इथनॉल और जैव डीजल तथा ''विकसित जैव ईंधनों'-दूसरी पीढ़ी (2जी) निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप इन ईंधन, तथा तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।

5. संभावित लाभ

- फसल जलाने में कमी लाने और कृषि संबंधी अवशिष्ट/कचरे को जैव ईंधनों में बदलकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में और कमी आएगी।
- इस्तेमाल हो चुका खाना पकाने का तेल जैव ईंधन के लिए संभावित फीडस्टॉक हो सकता है और जैव ईंधन बनाने के लिए इसके इस्तेमाल से खाद्य उद्योगों में खाना पकाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से बचा जा सकता है।
- 2जी प्रौद्योगिकियों को अपना कर कृषि संबंधी अवशिष्टों/ कचरे को इथेनॉल में बदला जा सकता है और यदि इसके लिए बाजार विकसित किया जाए तो कचरे का मूल्य मिल सकता है जिसे अन्यथा किसान जला देते हैं। साथ ही, अतिरिक्त उत्पादन चरण के दौरान उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा रहता है। अत: अतिरिक्त अनाजों को परिवर्तित करने और कृषि बॉयोमास मूल्य स्थिरता में मदद कर सकते हैं।

07 विवाह के लिए न्यूनतम आयु

1. चर्चा का कारण

- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का संकेत दिया कि सरकार लड़कियों की शादी के लिए तय कानूनी आयु में संशोधन करने का विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लड़कियों की शादी के लिए सही आयु क्या होनी चाहिए इस मुद्दे पर विचार करने के लिए समिति गठित की गयी है।

2. प्रमुख बिन्दु

- विवाह की न्यूनतम आयु, विशेषकर महिलाओं के लिए एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। वर्तमान में देश में लड़कियों की शादी की कानूनी आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष है।
- 2 जून को, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्व की उम्र, मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता और महिलाओं के बीच पोषण स्तर में सुधार के मामलों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था। यह टास्क फोर्स गर्भावस्था, प्रसव और उसके बाद माँ और बच्चे के चिकित्सीय स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर के साथ विवाह की आयु और मातृत्त्व के सहसंबंध की जाँच करेगी।
- यह टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), कुल प्रजनन दर (टीएफआर), जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) और बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) जैसे प्रमुख मापदंडों को भी देखेगा, और संभावना की जांच करेगा कि महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ा कर 21 वर्ष किया जाये।

3. पुरुष और महिलाओं के विवाह में अंतर क्यों?

- केंद्रीय बजट 2020-21 के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि साल 1978 में तत्कालीन शारदा अधिनियम 1929 को संशोधित कर लड़कियों की शादी की आयु को 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि शादी करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए उम्र के अलग-अलग कानूनी मानक होने का कानून में कोई तर्क नहीं है।
- विधि आयोग ने भी अपने एक परामर्श पत्र में कहा था कि विवाह के लिये महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग आयु समाज में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है।
- महिला अधिकार कार्यकर्ता इस तर्क को भी खारिज कर देती हैं जिसमें कहा जाता है कि महिलाएं समान उम्र के पुरुषों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं और इसलिए, जल्द से जल्द शादी करने की अनुमति दी जा सकती है।
- विशेषज्ञ मानते हैं कि महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने से महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है। कम उम्र में प्रारंभिक गर्भावस्था बढ़ी हुई बाल मृत्यु दर से जुड़ी होती है और माँ के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
- पिछले साल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह के लिए एक समान उम्र की मांग की गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने भेदभाव के आधार पर कानून को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21, जो समानता के अधिकार और गरिमा के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देते हैं, विवाह करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग कानूनी उम्र होने का उल्लंघन करते हैं।

5. बाल विवाह की स्थिति

- कानून में नाबालिगों के शोषण को रोकने के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। कम उम्र में मां बनने वाली लड़कियों में एनीमिया और कुपोषण जैसी समस्याएं बेहद आम हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा 2 जुलाई को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह पर लगभग सार्वभौमिक प्रतिबंध लगा दिया गया था, फिर भी पूरे विश्व में हर दिन बाल विवाह होते हैं।
- एक अनुमान के अनुसार 650 मिलियन लड़कियों और महिलाओं की शादी बचपन में कर दी गयी थी, और 2030 तक, 18 वर्ष से कम उम्र की अन्य 150 मिलियन लड़कियों का विवाह कर दिया जाएगा।
- यूनिसेफ का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष, भारत में 18 वर्ष से कम उम्र की कम से कम 1.5 मिलियन लड़कियों का विवाह किया जाता है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। भारत में, बाल विवाह के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बाल विवाह में शामिल होने वाली 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में 46 प्रतिशत निम्न आय वर्ग से थीं।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 'टिक बोर्न' वायरस का नया रूप

प्र. 'D614G' वायरस का नया रूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. D614G वायरस मैक्सिकों में पाया गया है।
2. D614G उस प्रोटीन में मिलता है, जो वायरस के स्पाइक को बनाता है।
3. D614G का म्यूटेशन पहली बार जुलाई 2020 में पाया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में मलेशिया (न कि मैक्सिकों) में कोरोना वायरस का नया रूप मिला है, जिसे वैज्ञानिकों ने D614G नाम दिया है। इस तरह कथन 1 गलत है। वैज्ञानिकों के अनुसार कोरोना वायरस का यह रूप पहले वायरस के मुकाबले 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। D614G का म्यूटेशन पहली बार जुलाई 2020 में पाया गया था। इस तरह कथन 2 और 3 सही है, अतः उत्तर (c) होगा।

02 अरुणाचल प्रदेश को छठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. संविधान सभा द्वारा पारित छठी अनुसूची स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है।
2. छठी अनुसूची के अंतर्गत चार पूर्वोत्तर राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को शामिल किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः संविधान सभा द्वारा पारित छठी अनुसूची स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची के अंतर्गत चार पूर्वोत्तर राज्यों-असम, (न कि अरुणाचल प्रदेश), मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को शामिल किया गया है। इस तरह कथन-2 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

03 डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स

प्र. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत समग्र रूप से 57वें स्थान पर है।
2. इंटरनेट गुणवत्ता में भारत को 88वीं रैंक प्राप्त हुई है।
3. इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्फशर्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 हाल ही में निर्गत किया गया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत समग्र रूप से 57वें स्थान पर है। इंटरनेट गुणवत्ता में भारत को 88वीं रैंक प्राप्त हुई है। इस सूचकांक में डेनमार्क पहले स्थान पर है। इस तरह तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

04 राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

प्र. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) एक बहु-एजेंसी निकाय होगी, जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

2. एनआरए के तहत वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित होगी।
3. राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के तहत कुल 2,000 केन्द्र खोले जाएंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बहु एजेंसी निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (एनआरए) का गठन करने का निर्णय किया है। यह एजेंसी एक बहु-एजेंसी निकाय होगी, जिसकी शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके तहत वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित होगी तथा इसके तहत कुल 1,000 (न कि 2000) केन्द्र खोले जाएंगे। इस तरह कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (a) होगा।

05 भादभूत परियोजना

प्र. भादभूत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भादभूत परियोजना ताप्ती नदी पर बनने वाली परियोजना है।
2. यह परियोजना वृहद कल्पसर परियोजना का हिस्सा है।
3. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य लवणता को रोकना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भरूच जिले में नर्मदा (न कि ताप्ती)नदी पर बनने वाले भादभूत परियोजना का वीडियो लिंक के जरिए शिलान्यास किया। इस तरह कथन 1 गलत है। इस संदर्भ में कथन 2 और 3 सही हैं, अतः उत्तर (b) होगा।

06 बायोइथेनॉल सम्मिश्रण

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत बायोइथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है।
2. भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (d)

व्याख्या: इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने वर्ष 2022 (न कि 2030) तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत बायोइथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है, जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करना है। भारत में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को वर्ष 2003 (न कि 2005) में शुरू किया गया था। इस तरह दोनों कथन गलत हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

07 विवाह के लिए न्यूनतम आयु

प्र. विवाह के लिए न्यूनतम आयु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही दी जाती है।
2. शारदा अधिनियम 1929 को संशोधित कर लड़कियों की शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष 1.5 मिलियन लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाती है। शारदा अधिनियम 1929 को वर्ष 1978 में संशोधित कर लड़कियों की शादी का उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इस तरह दोनों कथन सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

चर्चा का कारण

- अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के प्रमुख अगले हफ्ते तेहरान जाएंगे ताकि ईरान के अधिकारियों पर उन स्थलों तक पहुंच देने के लिए दबाव बना सकें जहां समझा जाता है कि उसने ज्यादा परमाणु सामग्रियां एकत्र कर रखी हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

- संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसियों में एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) है जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी है।
- यह परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्य राज्यों और दुनिया भर में कई भागीदारों के साथ काम करती है।
- इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना है।
- इस संस्था का गठन 29 जुलाई, 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना, आस्ट्रिया में है।

परमाणु समझौता

- ईरान ने 2015 में विश्व शक्तियों (अमेरिका , रूस, यूके, फ्रांस ,चीन और जर्मनी) के साथ परमाणु समझौता किया था।
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते से एकतरफा अलग हो गए थे। इसके बाद से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और चीन इस समझौते को बरकरार रखने के लिए संघर्षरत हैं।

02 इंटरपोल और उसकी नोटिस

चर्चा में क्यों

- हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपित नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है।
- 13,500 करोड़ रुपये की जालसाजी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आग्रह पर इंटरपोल ने यह कदम उठाया है।

इंटरपोल

- इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन (इंटरपोल) एक संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलिस के बीच समन्वय का काम करती है। इंटरपोल उन देशों के बीच समन्वय का काम करती है जो इस संस्था के सदस्य हैं।
- इंटरपोल की स्थापना का विचार सबसे पहले 1914 में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में रखा गया और उसके बाद इंटरपोल की स्थापना आधिकारिक रूप से 1923 में की गयी और इसका नाम 'अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस आयोग' रखा गया। बाद में साल 1956 में इसका नाम 'इंटरपोल' रखा गया।
- इंटरपोल मुख्य रूप से इन तीन प्रकार के अपराधों (काउंटर-टेररिज्म,साइबर अपराध, संगठित अपराध) के लिए अपनी पुलिस विशेषज्ञता और क्षमताओं का इस्तेमाल करता है।

इंटरपोल की विविध नोटिस

- इंटरपोल के प्रधान सचिवालय द्वारा, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) और अधिकृत संस्थाओं के निवेदन पर 8 तरह के नोटिस जारी किए जाते हैं। ये नोटिस इंटरपोल की चार आधिकारिक भाषाओं- अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और स्पेनिश में प्रकाशित किए जाते

हैं। इस तरह के नोटिस जारी करने के पीछे इंटरपोल का मकसद सदस्य देशों की पुलिस को सतर्क करना होता है ताकि संदिग्ध अपराधियों को पकड़ा जा सके या खोये हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। यथा-

1. रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice)
2. यलो कॉर्नर नोटिस (Yellow Corner Notice)
3. ब्लैक कॉर्नर नोटिस (Black Corner Notice)
4. पार्पल कॉर्नर नोटिस (Purple corner Notice)
5. ग्रीन कॉर्नर नोटिस (Green Corner Notice)
6. इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस (Interpol&United Nations Security Council Special Notice)
7. ऑरेंज कार्नर नोटिस (Orange Corner Notice)
8. ब्लू कॉर्नर नोटिस (Blue corner Notice)

रेड कॉर्नर नोटिस

- यह नोटिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी या उनके प्रत्यर्पण को हासिल करने के लिए किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध है जिसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है।

यलो कार्नर नोटिस

- यह नोटिस लापता या अगवा हुए व्यक्तियों (अक्सर नाबालिगों और दिमागी रूप से कमजोर लोगों का पता लगाने) के लिए जारी किया जाता है। इस नोटिस की मदद से लापता व्यक्तियों के मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इस नोटिस की प्रतियाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी चिपकायी जातीं हैं ताकि यदि कोई व्यक्ति खोये/अपहृत व्यक्ति के बारे में जानकारी देना चाहे तो आसानी से दे सके।

ब्लैक कार्नर नोटिस

- अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी लेने के लिए इंटरपोल द्वारा ब्लैक नोटिस जारी किया गया है। यहां अज्ञात व्यक्ति का अर्थ है एक ऐसी मृत व्यक्ति से है जिसकी पहचान पुलिस और चिकित्सा परीक्षकों द्वारा नही बताई जा सकी है।

पर्पल कार्नर नोटिस

- इस तरह की नोटिस पर्यवरण को नुकसान पहुँचाने वाले लोगों के खिलाफ जारी की जाती है। यह नोटिस उन अपराधियों के लिए जारी की जाती है जो वन्य जीवों का शिकार करते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके शरीर के हिस्से बेचते हैं। भारत में एक सींग वाले गेंडे का शिकार (इसके सींग की चीन के बाजार में बहुत मांग है) और बंगाल टाइगर का शिकार (खाल और नाखून के लिए) करने वाले लोगों के खिलाफ इस प्रकार का नोटिस जारी किया जाता है।

ग्रीन कॉर्नर नोटिस

- ग्रीन नोटिस को ऐसे व्यक्तियों के बारे में चेतावनी और जानकारी प्रदान करने के लिए जारी की जाती है जिन्होंने जघन्य अपराध किए हैं और भविष्य में इन अपराधों को फिर कर सकते हैं। इस प्रकार के नोटिस बार-बार यौन अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ जारी की जाती है।

इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस

- इस प्रकार की नोटिस, ऐसे समूहों और व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों (UN Security Council Sanctions Committees)के निशाने पर होते हैं। लश्कर-ए-तैयबा, तालिबान और अल-कायदा जैसे आतंकवादी समूहों को इस तरह की नोटिस जारी किये गए है।

ऑरेंज कार्नर नोटिस

- इस प्रकार की नोटिस एक ऐसे व्यक्ति, वस्तु, पार्सल बम, संदिग्ध हथियार और अन्य खतरनाक और विस्फोटक सामग्री के बारे में सतर्क करने के लिए जारी की जाती है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा हो।

ब्लू कॉर्नर नोटिस

- ब्लू कॉर्नर नोटिस एक ऐसा नोटिस जिसका इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो अपराधी है और लापता है।

03 कावकाज – 2020 (Kavkaz-2020)

चर्चा में क्यों

- भारत, सितंबर माह में रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास 'कावकाज 2020' (Kavkaz-2020) या 'काकेशस -2020' में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी (contingent) को नहीं भेजेगा।

प्रमुख बिन्दु

- कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार ऐसा मेगा मिलिटरी ड्रिल होने जा रहा है।
- कावकाज-2020 सैन्य अभ्यास में चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के दूसरे सदस्य देश हिस्सा लेंगे।
- यह मेगा मिलिटरी ड्रिल ऐसे समय में होने जा रही है जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत और चीन दोनों ही शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।

कावकाज- 2020

- यह अभ्यास दक्षिण रूस के अस्त्राखान क्षेत्र में 15 से 26 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा।
- इस अभ्यास का लक्ष्य साझेदारी में सुधार लाना है।
- इसमें शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाखिस्तान, किरगिस्तान, तजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के अलावा मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, अजरबैजान, आर्मीनिया और तुर्कमेनिस्तान की सेनाएं भी भाग लेंगी।

शंघाई सहयोग संगठन

- शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation-SCO), एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है।
- इस संगठन की स्थापना रूस ,चीन, कजाखस्तान, किर्गिजस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान द्वारा 15 जून, 2001 को शंघाई (चीन) में की गई थी।
- अभी इस संगठन वर्तमान में आठ सदस्य देश हैं, यथा- रूस ,भारत, कजाकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान हैं। भारत 2017 में इसका सदस्य बना था। इसके अतिरिक्त , इस संगठन के चार पर्यवेक्षक और छह संवाद सहयोगी सदस्य देश भी हैं।
- शंघाई सहयोग संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय 'शासनाध्यक्ष परिषद' है। इस परिषद की वार्षिक बैठक में सदस्य देशों के प्रमुख हिस्सा लेते हैं।
- एससीओ का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बनाए रखना है।
- आर्कटिक महासागर से हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर से लेकर बाल्टिक सागर तक फैली दुनिया की करीब 44 प्रतिशत आबादी एससीओ में शामिल देशों की है।

04 चोरा चर्च और हागिया सोफिया

चर्चा में क्यों

- हाल ही में तुर्की ने हागिया सोफिया के बाद एक और प्राचीन चर्च 'चोरा' को मस्जिद में बदलने का फैसला किया है।

परिचय

- हागिया सोफिया के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने एक और प्राचीन चर्च 'चोरा' को मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है।
- तुर्की के राष्ट्रपति के इस फैसले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है।
- हगिया सोफिया की तरह अब चोरा को मस्जिद में बदलने का फैसला एर्दोगन की पार्टी के रूढ़िवादी और धार्मिक आधार को और मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है।

चोरा चर्च

- चोरा चर्च, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में स्थित है जिसे कारी संग्रहालय भी कहते हैं ।
- मध्य काल का चोरा चर्च शहर की प्राचीन दीवारों के नजदीक मौजूद है, जिसमें 14वीं शताब्दी की बीजान्टिक मोजाइक और भित्तिचित्रों में बाइबिल की कहानियों के दृश्य दिखाए गए हैं।

- ओट्टोमन तुर्क द्वारा कांस्टेंटिनोपल की 1453 में जीत के बाद इसे मूल रूप से कारी मस्जिद में बदल दिया गया था; किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह कारी संग्रहालय बन गया और 1958 में फिर इसे चर्च के रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए खोल दिया था।
- इस आदेश के बाद अब इस्तांबुल के एक लोकप्रिय चोरा चर्च जिसे कारी संग्रहालय भी कहते हैं को मस्जिद में बदल दिया गया है।

हागिया सोफिया

- हाल ही में कुछ महीने पहले ही राष्ट्रपति एर्दोगन के नेतृत्व में हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदल दिया गया था।
- तुर्की के इस्तांबुल में एक भव्य संरचना वाली इमारत हागिया सोफिया संग्रहालय (Hagia Sophia Museum) है।
- हागिया सोफिया का तात्पर्य 'पवित्र विवेक' होता है अर्थात ऐसा स्थान जहां व्यक्ति सभी प्रकार की बुराइयों एवं वासनाओं से ऊपर उठ जाता है।
- यह भव्य इमारत बास्फोरस जलसंधि (Bosporus Strait) के पश्चिमी किनारे पर है। बॉस्फोरस जलसंधि एशिया और यूरोप की सीमा तय करती है। इस जल संधि के पूर्व की तरफ एशिया और पश्चिम की तरफ यूरोप है इसीलिए इस संग्रहालय को दोनों महाद्वीपों मे काफी प्रसिद्धि मिली है।
- लगभग 1500 वर्ष पुरानी यह इमारत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है।
- इसकी स्थापना रोमन सम्राट जस्टिनियन प्रथम द्वारा सन् 537 ई० में की गई थी।
- यह तात्कालिक समय में स्थापत्य के क्षेत्र में बाइजेंटाइन वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण था।
- हागिया सोफिया (अर्थात पवित्र ज्ञान) मूलत: एक आर्थोडोक्स चर्च था जो फिर रोमन कैथोलिक कैथेड्रल बना।
- 1453 मे जब उस्मानियों ने इस्तांबुल जीता उन्होंने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया, 1935 में इसे संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया।

05 पशु क्रूरता

चर्चा में क्यों

- भारत सरकार पशु क्रूरता कानून को और सख्त बनाने पर विचार कर रही है। इससे पशु क्रूरता के लिए 50 रुपये का जुर्माना जल्द ही अतीत की बात हो सकती है।
- हाल ही में कुछ सांसदों ने भी केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री को पत्र लिखकर मौजूदा पशु क्रूरता से संबन्धित कानून को कठोर बनाने और जुर्माना बढ़ाने की मांग की है।

प्रमुख बिन्दु

- भारत में पशु क्रूरता कानून के कमजोर रहने की वजह से कई लोग पशुओं के साथ निर्ममता करने वाले आराम से बच निकलते थे।
- हालांकि, पशु क्रूरता के लिए 50 रुपये का जुर्माना जल्द ही अतीत की बात होगी क्योंकि केंद्र पशु क्रूरता कानून को और सख्त बनाने की कवायद में है।
- केंद्रीय पशुपालन और डेयरी सचिव ने हाल ही में कहा है कि उनका मंत्रालय मौजूदा कानून में संशोधन करके पशुओं के साथ क्रूरता के लिए मौजूदा दंड को बढ़ाने से संबंधित मुद्दे की सक्रियता से जांच कर रहा है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए), 1960

- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (पीसीए), 1960 के तहत अभी जानवरों के खिलाफ क्रूरता (यथा- मारना, प्रताड़ित करना, भूखा रखना, अंगों को काटना आदि) के लिए 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का जुर्माना लगता है।
- 60 साल पुराने इस कानून के तहत अभी इनमें से किसी को भी संज्ञेय अपराध नहीं माना जाता है। केवल जानवरों की लड़ाई और शूटिंग मैच के आयोजन को ही इस कानून के तहत रखा गया है।
- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में प्रावधान है कि पशुओं को सिर्फ बूचड़खानों में ही काटा जाएगा और बीमार व गर्भ धारण किए हुए पशुओं को काटने से मनाही है।

06 माउंट सिनाबंग

चर्चा मे क्यों

- हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। इससे लगातार गर्म राख और धुआं निकलने का सिलसिला जारी है।

माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी

- सिनाबंग पर्वत कारो जिले में उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2,475 मीटर है।
- सिनाबंग पर्वत ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के 'रिंग ऑफ फायर' में आता है। इसीलिए यह अपनी अवस्थिति के कारण भूकंपीय उथल-पुथल के लिए प्रवण है।
- इसमें वर्ष 2014 में भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 16 लोग मारे गए थे और हजारों बेघर हुए थे।
- ज्वालामुखी में विस्फोट का असर अर्थव्यवस्था पर काफी पड़ा है।
- इससे पहले मई, 2020 में इंडोनेशिया के ही माउंट अगुंग ज्वालामुखी के सक्रिय होने से उत्पन्न राख की वजह से एक दर्जन से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया था।

रिंग ऑफ फायर (Ring of Fire)

- 'रिंग ऑफ फायर', प्रशांत महासागर के चारों-ओर स्थित एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जहाँ विवर्तनिक प्लेटें आकर आपस में मिलती हैं। यहाँ विवर्तनिक प्लेटों के आपस में मिलने से ज्वालामुखी विस्फोट या उद्गार तथा भूकंपीय घटनाओं की निरंतरता रहती है।
- 'रिंग ऑफ फायर' को परिप्रशांत महासागरीय मेखला (Circum-Pacific Belt) के नाम से भी जाना जाता है।
- विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी 'रिंग ऑफ फायर' क्षेत्र में ही पाए जाते हैं।
- क्राकाटोआ (इंडोनेशिया), माउंट फ्यूजी (जापान) और सेंट हेलेना (संयुक्त राज्य अमेरिका) जैसे विश्व प्रमुख ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
- पोपोकैटेपिटल (मेक्सिको) 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) में स्थित सबसे अधिक विनाशक ज्वालामुखी है।
- विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान 'मैरियाना खाई' (35,827 फीट) पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्व में स्थित है।
- द्वीपीय देश जापान, जो विवर्तनिकी (Tectonic) दृष्टि से पृथ्वी के सबसे सक्रिय स्थानों में से एक है, 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) के पश्चिमी किनारे पर स्थित है।
- 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) के सहारे महासागरीय खाईयाँ, वलित पर्वत और भूकम्पीय कंपन पाए जाते हैं।
- ईफुकू ज्वालामुखी के उत्तर-पूर्व में 'शैम्पेन छिद्र' जल के अन्दर स्थित एकमात्र ऐसा ज्ञात क्षेत्र है जहाँ तरल कार्बन डाई ऑक्साईड (Carbon Dioxide) पाई जाती हैद्य

ज्वालामुखी

- ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह (भूपटल) पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं।
- पृथ्वी के सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं वही जब यह मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से यही मैग्मा बाहर निकलता है एवं इसके साथ भारी मात्रा में जलवाष्प, राख एवं विभिन्न प्रकार के गैस इत्यादि बाहर निकलते हैं।

ज्वालामुखी के प्रकार

ज्वालामुखी तीन प्रकार होते हैं-

1. सक्रिय ज्वालामुखी
2. सुषुप्त ज्वालामुखी
3. मृत ज्वालामुखी

- **सक्रिय ज्वालामुखीः** उन ज्वालामुखीयों को कहा जाता है जिन पर समय-समय पर विस्फोट होता रहता है। संसार के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी में हवाई द्वीप का मौना लोआ, सिसली का एटना और स्ट्राम्बोली, इटली का विसुवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी एवं फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी इत्यादि शामिल है।
- **सुषुप्त ज्वालामुखीः** उन ज्वालामुखीयों को कहा जाता है जो वर्षों से शांत पड़े होते हैं लेकिन उनमें कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है संसार के निष्क्रिय ज्वालामुखीयों में इटली का विसूवियस, जापान का फ्यूजीयामा, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ एवं अंडमान और निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी इत्यादि शामिल है।
- **मृत ज्वालामुखीः** ऐसे ज्वालामुखीयों को कहा जाता है जो कई युगो से शांत है एवं उनमें विस्फोट होना बंद हो गया है। संसार की कुछ मृत ज्वालामुखीयों में म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मोंनाको, ईरान का कोह सुल्तान इत्यादि शामिल है।
- ज्वालामुखी विस्फोट से व्यापक पैमाने पर धन-जन की व्यापक हानि होती है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी जब पूरे के पूरे शहर ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट के कारण काल के ग्रास में समा गए। उदाहरण के लिए इटली के दो प्रसिद्ध शहर पम्पियाई और हरक्युलैनियम ज्वालामुखी विस्फोट से बर्बाद हो गए। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट कई तरीके से लाभकारी भी होते है। इससे ना केवल नवीन संरचनाओं का निर्माण होता है जैसे की क्रेटर झील, लैकोलिथ, फैकोलिथ इत्यादि बल्कि कई खनिजों समेत काली मिट्टी के स्रोत भी ज्वालामुखी के लावा होते हैं।

07 निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)

चर्चा में क्यों

- हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)-2020 पर रिपोर्ट जारी की है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

- भारत का प्रति व्यक्ति निर्यात 241 डॉलर का है। वहीं, दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति निर्यात 18,000 डॉलर का है तथा चीन में यह 18,000 डॉलर का है। ऐसे में भारत में निर्यात के लिए बहुत अधिक संभावनाएं मौजूद हैं।
- विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.7 प्रतिशत है, जिसे भारत सरकार द्वारा इस दशक में पाँच प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई)

- भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व स्तर पर एक मजबूत निर्यातक बनने की असीम क्षमता है। इस क्षमता का उपयोग करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि भारत अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर मुड़े और उन्हें देश के निर्यात प्रयासों में सक्रिय सहभागी बनाये। इस विजन को प्राप्त करने की एक कोशिश में, निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 राज्यों की संभावनाओं एवं क्षमताओं का मूल्यांकन करता है।
- ईपीआई का उद्देश्य भारतीय राज्यों की निर्यात तैयारी और निष्पादन की जांच करना, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना इत्यादि है।
- ईपीआई की संरचना में 4 स्तंभ- नीति, व्यवसाय परितंत्र, निर्यात परितंत्र, निर्यात निष्पादन तथा 11 उप स्तंभ - निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत संरचना, व्यवसाय वातावरण, अवसंरचना, परिवहन संपर्क, वित्त की सुविधा, निर्यात अवसंरचना, व्यापार सहायता, अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना, निर्यात विविधीकरण और विकास अनुकूलन शामिल हैं।

ईपीआई -2020 के निष्कर्ष

- ईपीआई -2020 में गुजरात को शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु इस सूचकांक में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं ।
- ईपीआई -2020 रिपोर्ट के मुताबिक छह तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल पहले 10 राज्यों में शुमार हैं।
- मैदानी क्षेत्र के राज्यों में राजस्थान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। इसके बाद तेलंगाना और हैदराबाद का स्थान आता है।
- हिमालयी अर्थात पहाणी राज्यों की बात की जाए तो ईपीआई -2020 में उत्तराखंड शीर्ष पर रहा। इसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है।
- केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। उसके बाद गोवा और चंडीगढ़ का स्थान आता है।

सुझाव

- निर्यात आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न हिस्सा है और भारत को जीडीपी और विश्व व्यापार में निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश जारी रखनी चाहिए।
- भारत सरकार को आने वाले वर्षों में विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयत्न करना चाहिए।
- राज्यों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से विभाग बनाने पर विचार करना चाहिए।
- निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) सभी हितधारकों को राष्ट्रीय एवं राज्यीय दोनों ही स्तरों पर निर्यात परितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए दिशा- निर्देशित करेगा।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग कम हुई है। रैंकिंग कम होने के कारणों का उल्लेख करें।

02 हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है। छठी अनुसूची में शामिल होने से राज्य को मिलने वाले लाभों पर विस्तार से चर्चा करें।

03 भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव का लगातार मांग कर रहा है। भारत की यह मांग कहाँ तक सही है? विश्लेषण करें।

04 हाल ही में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में बतायें।

05 डॉ० भीम राव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा गाँधी जी की अवधारणा से किस प्रकार अलग थी टिप्पणी करें।

06 केन्द्र सरकार द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या विवाह की उम्र बढ़ाकर महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है? अपने विचार व्यक्त करें।

07 भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा उठाये गये कदमों की चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01 हाल ही में जारी 'स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम-2020' के अनुसार, किस शहर (1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में) को पहला स्थान मिला है?

इंदौर

02 किस संस्थान ने कालाजार के लिए नैनोमेडिसिन विकसित किया है?

नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

03 हाल ही में जारी 'डिजिटल क्वॉलिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स-2020' में भारत का रैंक क्या है?

57वां

04 किस राज्य सरकार ने 'इंदिरा रसोई योजना' शुरू की है?

राजस्थान

05 कौन सा राज्य 'नमथ बसई' नामक एक अनूठा कार्यक्रम चला रहा है?

केरल

06 किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 'राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद' का गठन किया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

07 किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे को जनता के लिए खोला है?

असम

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

01 स्वयं को जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है स्वयं को औरों की सेवा में डूबो देना।

महात्मा गाँधी

02 कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं

अब्राहम लिंकन

03 अपने मिशन में कामयाब होने के लिए, आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा।

अब्दुल कलाम

04 जिनके पास धर्म का ज्ञान है वे सभी कहते हैं कि सत्य ही परम धर्म है।

गोस्वामी तुलसीदास

05 हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है, जिस दिन हम उन मुद्दों के बारे में चुप हो जाते हैं जो आम समाज के लिये मायने रखते हैं।

मार्टिन लुथर किंग जूनियर।

06 आर्थिक रूप से मजबूत हो जाना ही मुश्किलों का हल नहीं हैं लेकिन यह हिम्मत जरूर देता है।

बराक ओबामा

07 किसी भी इंसान को मारना आसान है, परन्तु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं।

भगत सिंह

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

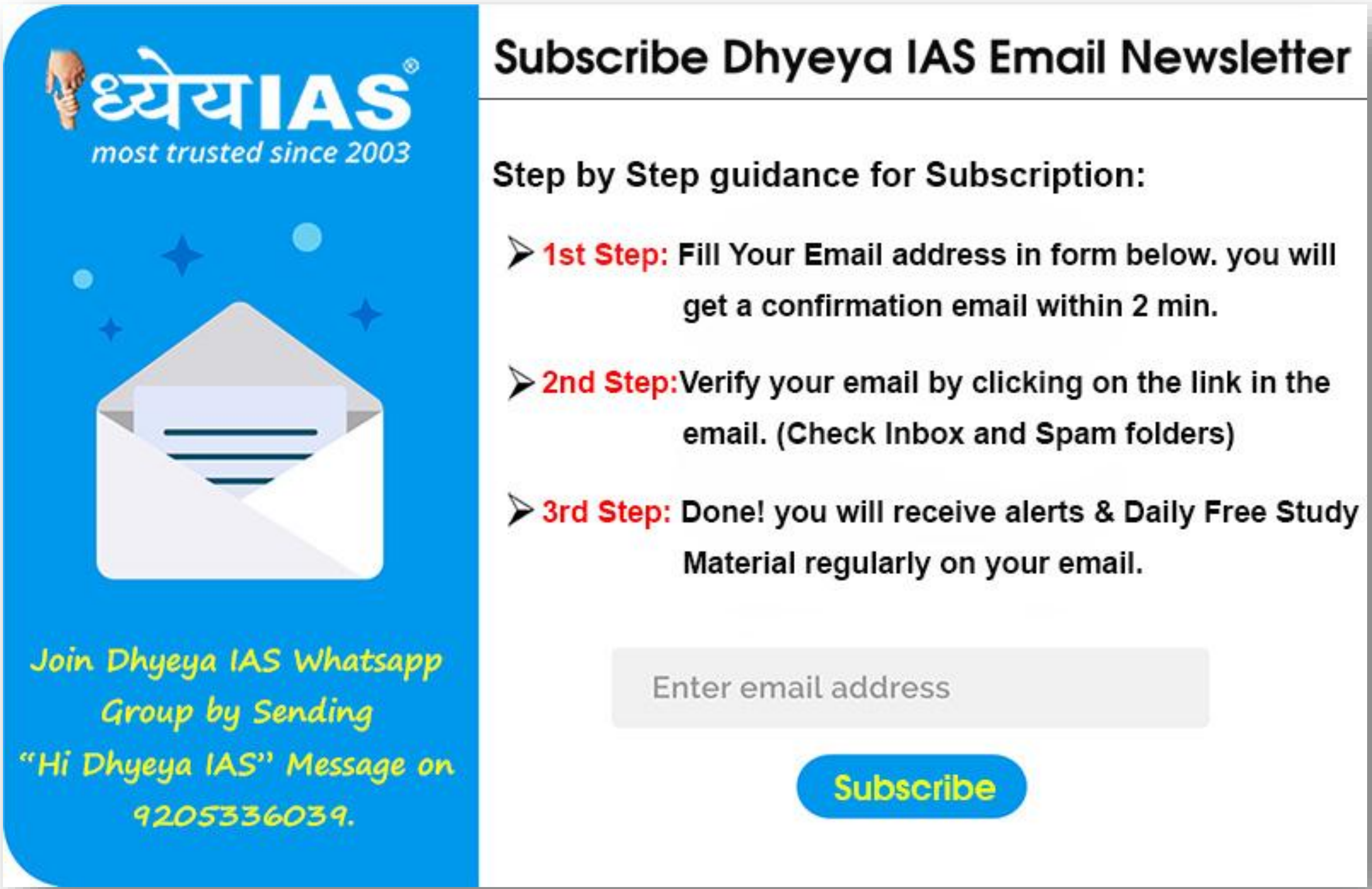

ध्येयIAS
most trusted since 2003
Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002 9506256789 | Whatsapp: 9205274741 | Visit: dhyeyaias.com